

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, KOLKATA

O. A. No.: 22 of 2021 (EZ)

Mohammad Khalik Ansari

Applicant

Vs.

MoEF&CC & Ors.

Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Page No.
1.	Personal Affidavit of the Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board.	745- 765
2.	Annexure - A: True copy of the part of the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1986.	766 - 767
3.	Annexure - B: True copy of the report submitted by Regional Office, Dumka.	768- 770
4.	Annexure - C: True copy of the rejection orders issued by the JSPCB.	771- 776
5.	Annexure - D: True copy of the Water analysis reports done by JSPCB.	777 - 796
6.	Annexure - E: True copy of the Minutes of Meetings and List of F.I.R.	797 - 848
7.	Annexure - F: True copy of the orders passed by the Hon'ble High Court.	849 - 858
8.	Annexure - G: True copy of the Memo No. 1188/M; Ranchi, dated 31/08/2013.	859- 860
9.	Annexure - H: True copy of the notification issued vide Memo. No. 4869 dated 26/12/2019.	861- 862

10.	Annexure - I: True copy of the report submitted by the Regional Office, Dumka.	863- 867
11.	Annexure - J: True copy of the current status of transportation by boats.	868- 873

Filed by: -

Sir
Surendra Kumar
Advocate
Jharkhand State Pollution Control Board



**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
KOLKATA**

O.A. No. 22 of 2021 (EZ)


Mohammad Khalik Ansari **APPLICANT**

- VERSUS -

MoEF&CC& Ors. **RESPONDENTS**

**PERSONAL AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE MEMBER SECRETARY,
JSPCB IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 27.05.2022
PASSED BY THIS HON'BLE COURT.**

1. I, Yatindra Kumar Das, S/o Late K.K. Das, presently posted as Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, H.E.C., Dhurwa, P.O. & P.S. Jagannathpur, District-Ranchi, Jharkhand, do hereby solemnly affirm and declare as follows:-



Authorized under Notaries Act 1952
 & Notaries Rules 1956 by Govt. of
 Jharkhand, Ranchi (India)
 22 JUL 2022
 950

2. That I am presently working and posted as Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, and as such well acquainted with the facts and circumstances of the case.
3. That this Hon'ble Court has directed vide its order dated 27.05.2022 to file a personal affidavit about the subject in issue.
4. That at the very outset, it is stated that the deponent is simply to act on the directives and order of the Chairman of the Board. Apart from this the Member Secretary is not vested with any power to discharge the work save and except under the control of the Chairman. The affidavits too, to be filed in the different forums are to be approved and acted upon on the instructions of the Chairman of the Board.
5. That the power of the Chairman and the Member Secretary is envisaged under the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1986 published in

22 JUL 2022

Authorised under Notaries Act 1952
Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand Ranchi (India)



the Bihar Gazette (Extraordinary) on 30th April, 1986 under Chapter-3 which inter-alia states as follows:-

- (i) Clause-7(1) of Chapter-3 states that- "The Chairman **shall** have overall control over the day to day activities of the State Board".
- (ii) Clause-7(2) - "The Chairman **shall** exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the State Board from time to time".

6. That the section 9 of the Rules speaks about the powers and duties of the Member Secretary-

- (i) Clause-9(1) of Chapter-3 states that- "The Member Secretary shall be subordinate to the Chairman."
- (ii) Clause-9(2) - "The Member Secretary shall exercise such powers and perform such functions as may be **delegated** to him from



time to time either by the Board or by the Chairman”.

A photocopy of the part of the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1986 is hereby being annexed and marked as **Annexure-A** to this application.

7. That on perusal of the duties and powers, it will be apparent that all the activities to be discharged by the Member Secretary are only with the consent and approval of the Chairman. The Member Secretary simply presents the facts and aids the Chairman be it administrative or any function to be presented before the Hon'ble Courts.
8. That with regard to the contentions raised by the applicant in his O.A. touched the following three

issues-



22 JUL 2022

Authorized under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand, Ranchi (India)

(a) That the river banks / flood plains of the holy river Ganga are being encroached by Stone Crusher Units spread throughout the stretch of the river banks polluting the water of river Ganga.

(b) The main source of drinking water is being polluted due to encroachment of Stone Crusher Units.

(c) The flora and fauna of the river is being endangered and causing deaths of Dolphins.

9. That the contention of the applicant that the illegal dumping of Stone Chips by illegal crushing units on and around the Ganga river bed is totally false and misleading. The deponent on the receipt of the notice of this Hon'ble Court immediately directed the Regional Officer, JSPCB, Regional Office, Dumka to submit the status report on encroachment and illegal operation of Stone Crushers along the bank of the river Ganga. On inspection the following reports

22 JUL 2022

Authorized under Notaries Act 1952
 & Notaries Rules 1956 by Govt. of
 Jharkhand Ranchi (India)



were submitted by the Regional Office, Dumka on 17.08.2021.

It is pertinent to mention here that the Hon'ble Court directed and raised the issue on and around the banks of river Ganga and the Units running near it. Hence, the deponent confined its affidavit only to the river bank area.

10. That the Regional Office, Dumka on the spot verification mentioned that-

- (i) No Stone Crushers (legal or illegal) have been established or operational along the river banks/ghats of river Ganga at Sahebganj.
- (ii) No encroachment by the Stone Crushers was found along the river banks/ghats of river Ganga at Sahebganj.

A photocopy of the report submitted by Regional Office, Dumka is hereby being annexed and



marked as **Annexure-B** to this application.

11. That the Board has rejected all the 6 applications of C.T.O. renewal which have applied for storage of stone chips and stone dust along the river banks/ghats of river Ganga at Sahebganj.

A photocopy of the rejection orders are hereby being annexed and marked as **Annexure-C** to this application.

12. That apart from this, the water quality of River Ganga is being analyzed fortnightly by the JSPCB and the reports are called for Rajmahal, Sahebganj; LCT Ghat, Sahebganj; Janta Ghat, Sahebganj; Sanghi Dalan, Sahebganj etc. of Ganga river ghats. It was found that water quality Parameters were found within acceptable limits.



22 JUL 2022

Authorized under Notaries Act 1952
 & Notaries Rules 1956 by Govt. of
 Jharkhand Ranchi (India).

A photocopy of the analysis reports is hereby being annexed and marked as **Annexure-D** to this application.

13. That it is humbly submitted that the local / district administration is more aware and does spot control mechanism. It covers the entire area and the action taken report for the whole districts, while our contention is confined to the contentions raised by the applicant. It is further stated that the local authority of administration and mining division are in day to day control and the Board is made aware of the developments by the time to time interactive sessions. Hence, the deponent never dared to withhold any information from the Tribunal in judicial proceeding and tenders his unqualified apology if any communication gap has cropped in course of proceeding. The deponent is committed

22 JUL 2022

Authorized under Notaries Act 1952 & Notaries Rules 1956 by Govt. of Jharkhand Ranchi (India)



and bound to obey the directions issued by the Tribunal from time to time and abide by the same.

14. That so far issue number two raised by the applicant is concerned, it is stated that the same is not correct and hereby denied. The dumping of Stone Chips or dust was never piled up across or near the river banks and wherever the violations have been detected; the same has been dealt strongly with the aid of district administration. Further, the Namami Gange Project, a pilot project of the Central Govt. is also very active and supportive to the State Pollution Control Board to control such menace by the erring persons. Moreover, the National Mission for Clean Ganga, being the national agency charged with the role, responsibility and powers to facilitate the task of rejuvenation, protection and management of River Ganga and its tributaries, under the supervision and direction of National Ganga Council which may direct the Central, State or District level committees

22 JUL 2022

Authorized under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand Ranchi (India).



or local authority or any authority or person, institution or agency for rejuvenation, protection and management of River Ganga and have the power to take all such measures and discharge such function as it may deem fit to control and prevent abatement of environmental pollution in River Ganga. The Chief Secretary and Chairman of Pollution Control Board along with others are ex-officio member of State level Ganga action plan.

15. That with regard to the issue regarding the actions/ F.I.Rs. lodged by the Board, it is submitted that a District Task Force (Mining) has been constituted by the Mines and Geology Department, Govt. of Jharkhand vide S. S. Bhu. Ni. Anvesh. 56/13 issued vide Memo No. 1188/M; Ranchi, dated 31/08/2013 to be headed by the Deputy Commissioner of the concerned district. A district level officer of the State Pollution Control Board is also a member of the District Task Force (Mining) who takes part in the activities of District Task Force. The decisions taken

22 JUL 2024

Notarised under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand Ranchi (India)




by the District Task Force, apart from the own source of Board is strictly complied. District Task Force regularly conducts raids and surprise inspections in the areas and those who are found to be doing any illegality. F.I.Rs. have been instituted and vehicles were confiscated. The series of F.I.Rs. have been instituted and the Action Taken report are being taken-up in the District Task Force Committee meetings and the actions are being monitored by the Committee.

A photocopy of the Minutes of Meetings and List of F.I.R. are hereby being annexed and marked as **Annexure-E** to this application.

16. That with regard to the third issue regarding endanger to the flora and fauna of River Ganga due to the boats using adulterated oil carrying the Stone Chips causing harmful wastes entering in rivers are

Notarized under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand Ranchi (India)

22 JUL 2022



also far from truth and hereby denied. As per the revised order of the Deputy Commissioner, Sahebganj issued vide memo no - 310 dated 11/02/2021; M/s N.N.T. Developers Private Limited, Patna was allowed to transport stone/ boulder from Samdaghat with the help of boats of small / medium / large size till 23/04/2022. The ships or boats which were duly authorized to carry the Stone were allowed and any unauthorized boats found near the river banks were seized and confiscated by the District level Task Force. Strict vigil on the subject is being maintained by the District Task Force by surprise visits and inspections. The paper cutting annexed by the applicant on Dolphins are misleading different to the contents stated in paragraph-2 of the O.A. application.

The paper cutting dated 27.09.2019 states that the govt. is planning to create a Dolphin corridor to promote Dolphin tourism in the area. The paper

22 JUL 2022

Authorized under Notaries Act, 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand Ranchi (India)



cutting dated 08.01.2018 states that a Dolphin was caught in the net of a fisherman who was in turn arrested and taken into custody. The paper cutting dated 20.08.2020 states that the govt. is planning to create Dolphin Sanctuary in Sahebganj area to promote Ganga Tourism and the picture on the paper shows a Dolphin in playful mood. Hence, the contentions raised by the applicant are totally false and hereby denied.

17. That the contention of the applicant in his affidavit dated 24.08.2021, para-5, it has been stated that W.P.(PIL) No.115 of 2019 relates to the development of the historical Telaiyagarhi Fort and Hills of Rajmahal in the district of Sahebganj as a tourist spot and declaration of no mining zone in the area is not correct. The applicant filed W.P.(PIL) No.115/2019 against the illegal mining in the State and against the crushers and mines which were operating without N.O.C. from Pollution Control Board. The matter is still subjudice before the

22 JUL 2022

Authorised under Notaries Act 1952
Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand - Ranchi District



Hon'ble High Court of Jharkhand at Ranchi,
Division Bench.

A photocopy of the orders passed by the Hon'ble High Court is hereby being annexed and marked as **Annexure-F** to this application.

18. That it is pertinent to mention here that the control & regulation of the illegal mining or crushing of stone chips falls under the preview of District Mining Officer/District Administration/District Task Force. A District Task Force (Mining) has been constituted by the Mines and Geology Department, Govt. of Jharkhand vide S. S. Bhu. Ni. Anvesh. 56/13 issued vide Memo No. 1188/M; Ranchi, dated 31/08/2013 to be headed by the Deputy Commissioner of the concerned district. Keeping in view the need for prevention of illegal mining in the state of Jharkhand, the task force/flying squad has

22 JUL 2022

Authorized under Notaries Act 1953
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand, Ranchi (India)



been constituted by the State Government for regular review, monitoring and control of illegal mining activities at the district level. Moreover, the solution of the disturbance caused by the villagers and anti-social elements is also included in the tasks to be done by the District Task Force.

A photocopy of the Memo No. 1188/M; Ranchi, dated 31/08/2013 is hereby being annexed and marked as **Annexure-G** to this application.

19. That it is pertinent to mention here that Forest, Environment and Climate Change Department, Government of Jharkhand has issued a notification vide Memo. No. 4869 dated 26/12/2019 and has reconstituted the District Environment Committee at the district level for the purpose of effective implementation of various Acts / Rules notified by the Government of India for the prevention of

22 JUL 2022

Authorised under Notaries Act 1953
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand, Ranchi (India)



pollution and control of pollution in the state. The duties of the District Environment Committee are as follows: -

- i. Monitoring of environmental protection related works under the district and coordination between the various authorities doing the work of conservation.
- ii. To take action towards the compliance of Environment Protection Act, Air and Water Act and all the Waste Management Rules made under them and to coordinate and monitor their work with coordination among various authorities working for compliance.
- iii. Preparation of District Environment Plan, ensuring its compliance and establishing coordination between various departments / institutions for the same.
- iv. In addition to the above to discharge various responsibilities assigned by the State Government from time to time.

22 JUL 2022

Authorised under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand Ranchi (India)



A photocopy of the notification issued vide Memo. No. 4869 dated 26/12/2019 is hereby being annexed and marked as **Annexure-H** to this application.

20. That it is stated that along the river banks altogether a list of 17 Dealers' license for storage of stone chips were issued by the Mines Department, Govt. of Jharkhand. Out of these 17 licenses 4 were repeated. Hence, total Dealers' licenses equals to 13 in nos. as informed by the District Mining Officer, Sahebganj. Out of these 13 units, Combined Consent (CTE & CTO) was granted to 9 units. Out of these 9 units 6 units had applied for renewal of CTO which were rejected by the Board in light of the letter no.1472/M dated 31.10.2019 issued by the District Mining Officer, Sahebganj and it was directed not to operate the unit further. Rest of three (3) units didn't

22 JUL 2024

Authorised under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand Jhanchi (India)



opt for renewal of CTO and became inoperative. Four units illegally ran the units without Consents of the Board. The then In-charge, JSPCB neither applied the "Polluter Pays Principle" nor took any legal action against the defaulting units. Hence, the deponent called for a report from the Regional Office, Dumka & recommended for imposition of Environmental Compensation on the erring units which is yet to be approved by the Chairman, JSPCB yet to be appointed after superannuation of the previous chairman.

A photocopy of the report submitted by the Regional Office, Dumka is hereby being annexed and marked as **Annexure-I** to this application.

21. That so far, the transportation of boats to carry the stone chips is concerned, it is stated that the District Task Force and the Board have continuous vigil over the matter. As per the revised order of the

22 JUL 2022

Authorised under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand, Ranchi (India)



Deputy Commissioner, Sahebganj issued vide memo no - 310 dated 11/02/2021; M/s N.N.T. Developers Private Limited, Patna was allowed to transport stone/ boulder from Samdaghat with the help of boats of small / medium / large size till 23/04/2022. The ships or boats which were duly authorized to carry the Stone were only allowed. Apart from some ferry boats, which have been not granted permit are dealt strongly by the District Task Force. In this regard, current status is time and again sought by the deponent and necessary instructions are issued.

A photocopy of the current status of transportation by boats are hereby being annexed and marked as **Annexure-J** to this application.



22 JUL 2022

Authorised under Notaries Act 1952
& Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand, Ranchi (India).

22 JUL 2022

Authorized under Notaries Act 1952
Notaries Rules 1956 by Govt. of
Jharkhand, Ranchi (India)

- 22. The statement made in forgoing paragraphs are true to my knowledge in annexure are true copy of its original.
- 23. That this affidavit is being filed the interest of justice.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to accept this affidavit and after hearing the parties be pleased to dismiss the O.A. application filed by the petitioner.

AND / OR

Pass such other order or orders as your lordships may deem fit and proper

AND FOR THIS THE PETITIONER SHALL EVER PRAY.

[Handwritten Signature]
DEPONENT

[Handwritten Signature]
22/7/2022
NOTARY PUBLIC
RANCHI

VERIFICATION:

Verified at Ranchi on this the day of, July 2022 that the averments & facts stated herein above are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Yati Balkrishna
DEPONENT

950

Authorised under Notaries Act 1952 & Notaries Rules 1956 by Govt. of Jharkhand (Ranchi) (India)
22 JUL 2022



Mithilesh Narayan Jha
22/7/2022
NOTARY PUBLIC
RANCHI.

FOREST AND ENVIRONMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 30th April 1986

S. O. 588.—In exercise of the powers conferred by section 64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the State Government after consultation with the Bihar State Pollution Control Board, hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. *Definitions.*—In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) 'Act' means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(b) 'Chairman' means the Chairman of the State Board;

(c) 'State Board Laboratory' means a laboratory established or recognised as such under sub-section (2) of section 17;



CHAPTER 3

POWERS AND DUTIES OF THE CHAIRMAN AND THE MEMBER-SECRETARY.

7. *Powers and duties of the Chairman.*—(1) The Chairman shall have overall control over the day to day activities of the State Board.

(2) The Chairman shall exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the State Board from time to time.

8. *Creation and abolition of posts.*—(1) The State Board may create such posts in different scales as it considers necessary for the efficient performance of its functions, make appointment against such posts, abolish such posts so created and consequently terminate the appointments made against such posts:

Provided that the State Board shall obtain prior sanction of the State Government for the creation, abolition of and appointment to posts above the maximum payscale of Rs. 2,500 (Rupees two thousand and five hundred) only per month.

(2) Subject to rules, if any, made under sub-section (3) of section 12 the State Board shall have full power in the matters of appointments to posts in different scales, promotion, confirmation, transfer and termination of services of officers and employees of State Board.

9. *Powers and duties of the Member-Secretary under sub-section (2) of section 12.*—(1) The Member-Secretary shall be subordinate to the Chairman.

(2) The Member-Secretary shall exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him from time to time either by the Board or by the Chairman.



Amesure - B

768



Jharkhand State Pollution Control Board

Regional Office-Cum-Laboratory, Dumka- 814101

Ph: 06434-230203, www.jspcb.nic.in

Ref. No. 1107

Dated 17/08/2021

From

Kamlakant Pathak,
Regional Officer

To,

Rajiva Kumar Sinha,
Section Head, Dumka
Jharkhand State Pollution Control Board,
Ranchi


Sub:

Submission of factsheet w.r.t the hon'ble NGT in O.A. No. 22/2021 (EZ) -
regarding.

Sir,

With reference to above, noted subject factsheet w.r.t the hon'ble NGT in O.A.
No. 22/2021 (EZ) is enclosed for onward action.

Yours faithfully,


(Kamlakant Pathak)
Regional Officer

FA mohib khan letter 21-22



60

तथ्य कथन (Fact Sheet)

माननीय NGT (हरित अधिकारण) O.A. no. 22/2021/EZ के आलोक में तथ्य कथन निम्न है :-

1. अवैध क्रसर एवं अन्य अनाधिकृत क्रसरों द्वारा गंगा किनारे पत्थरों का भण्डारण नहीं किया जाता है।
2. गंगा किनारे अवैध क्रसरों एवं अन्य अनाधिकृत क्रसरों द्वारा पत्थरों का भण्डारण नहीं किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में वरसात के समय पत्थर कण गंगा में प्रवाहित नहीं होता। कण प्रवाहित नहीं होने के कारण जल प्रदूषण की समस्या नहीं है। स्टोन चिप्स एवं स्टोन डस्ट किसी भी परिस्थिति में नाव में लोडिंग एवं अनलोडिंग नहीं किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में दमा की रोगी होने की सम्भावना नहीं है।
3. गंगा किनारे में सर्वश्री Ezma Stone Works के नाम से क्रसर इकाई स्थापित नहीं है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज के पत्रांक- 57 दिनांक- 02.01.2021 द्वारा पत्थरों के भण्डारण हेतु वनभूमि से प्रस्तावित स्थल का 260 मीटर दूरी होने का प्रमाण पत्र निर्गत है, जिसका छाया प्रति संलग्न है। Annexure I
4. अवैध तरीकों से कोई भी स्टोन क्रसर गंगा किनारे अवस्थित नहीं था। वहाँ पर कुछ भण्डारकर्ताओं को पर्षद से सशर्त स्टोन चिप्स एवं डस्ट भण्डारण हेतु CTE/CTO निर्गत किया था परन्तु जन शिकायत/खनन पदाधिकारी/उपायुक्त, साहेबगंज के निर्देश के आलोक में प्रदत्त/ CTO रद्द किया गया था। जिसका छाया प्रति संलग्न है। Annexure II



55

5. मदनशाही, छोटामदन शाही, बड़ा तौफीर, छोटा तौफीर एवं अन्य धाटो पर अवैध स्टान क्रसरों/भण्डारकत्ताओं द्वारा पत्थरों/डस्टों का अवैध भण्डारण एवं परिचालन नहीं किया जाता है।

6. स्टाने चिप्स का परिचालन 150-200 नावों द्वारा गंगा नदी में नहीं किया जाता है। नावों में लगे ईजन से तेल रिसाव गंगा में नहीं किया जाता है। जिसके कारण प्रदूषण होने की सम्भवना नहीं है।

7. समाचार पत्रों में दिख रहे कटिंग के आधार पर पूर्व में प्रकाशित सूचना है। अनुमान्य नहीं है।

8. गंगा नदी में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कोडिंग के अनुसार महिना के एक-एक पक्ष के अन्तराल पर जल का नमूना संग्रहण एवं विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषणों के उपरान्त प्रदूषण तथ्यों का मात्रा पर्षद के मानक के अधीन है। रिपोर्ट संलग्न है।

Annexure III

9. स्टोन चिप्स एवं डस्टों का डम्प गंगा किनारे नहीं होता है। जिससे जल प्रदूषण की समस्या नहीं है। सिव्रेज बहिस्त्राव जल सीधे रूप से गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाता है। चूँकि बहिस्त्राव जल को उपचारित करने के लिए जुडको द्वारा बहिस्त्राव उपचार संयंत्र दो स्थापित किया गया है।

उपरोक्त तथ्य मेरी जानकारी के सही और सत्य है।

13/08/2021
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6421622/2019/6

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad
Regional Officer

To,

MD MAKSUD ALAM
M/S MINHAZ STONE WORKS
AT - BADA MADAN SAHI
SAHEBGANJ

Sub :

Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6421622 dated 14/09/2019.

- 1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
- 2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6421622 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.


Yours faithfully,

RAVINDRA PRASAD
Ravindra Prasad
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6421622/2019/6

Dated : 2019-11-20

Copy To :-MD MAKSUD ALAM of M/S MINHAZ STONE WORKS, At. BADA MADAN SAHI, po.-Borna, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & necessary action.



RAVINDRA PRASAD
Ravindra Prasad
Regional Officer

Digitally signed by RAVINDRA PRASAD
DN: cn=RAVINDRA PRASAD, o=JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
ou=OFFICE OF REGIONAL OFFICER, postalCode=834004, st=JHARKHAND,
c=IN, email=RAVINDRA.PRASAD@JSPCB.ORG, serial=774809942
20191120133945Z
2.5.4.41=4927202A1A6E417281A998A16230F1A28F165748
OF JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Date: 2019.11.20 13:39:45 +05'30'



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6423918/2019/5

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad
Regional Officer

To,

RISHIKESH KUMAR
M/S RISHIKESH AUTO MOBILES
AT - CHHOTA TOUFIR
SAHEBGANJ

Sub : **Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.**

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6423918 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6423918 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully,
RAVINDRA
PRASAD
Ravindra Prasad
Regional Officer

Digitally signed by RAVINDRA PRASAD
DN: cn=RAVINDRA PRASAD, o=JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
ou=GOVT OF JHARKHAND, postalCode=834005, st=Jharkhand,
serial=65276, email=ras@jspcb.org,
c=IN

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6423918/2019/5

Dated : 2019-11-20

Copy To :- Sri Rishikesh Kumar of M/S Rishikesh Auto Mobiles, AT - Chhota Toufir, Po.- Borio, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & necessary action.

RAVINDRA
PRASAD
Ravindra Prasad
Regional Officer

Digitally signed by RAVINDRA PRASAD
DN: cn=RAVINDRA PRASAD, o=JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
ou=GOVT OF JHARKHAND, postalCode=834005, st=Jharkhand,
serial=65276, email=ras@jspcb.org,
c=IN





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004

Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6422740/2019/4

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad
Regional Officer

To,

PREM CHAND MANDAL
M/S PREM CHAND MANDAL
AT - CHHOTA TOUFFIR
SAHEBGANJ

Sub : **Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.**

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6422740 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.


The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6422740 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully,
RAVINDRA PRASAD
Ravindra Prasad
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6422740/2019/4

Dated : 2019-11-20

Copy To :- Sri PREM CHAND MANDAL of M/S PREM CHAND MANDAL, AT - CHHOTA TOUFFIR, Po.- Bada Madanshahi, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & necessary action.



RAVINDRA PRASAD
Ravindra Prasad
Regional Officer



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004

Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6419766/2019/3

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad
Regional Officer

To,

NAZIA SULTAN
M/S IZMA STONE WORKS
AT - CHHOTA TOUFIR
SAHEBGANJ

Sub : **Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.**

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6419766 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6419766 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

Yours faithfully,
RAVINDRA PRASAD
Ravindra Prasad
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6419766/2019/3

Dated : 2019-11-20

Copy To :- Smt. NAZIA SULTAN of M/S IZMA STONE WORKS, AT - CHHOTA TOUFIR, Ps.- Borio, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/ D.M.O., Sahibganj / Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information and necessary action.

RAVINDRA PRASAD

Ravindra Prasad
Regional Officer



Digitally signed by RAVINDRA PRASAD
DN: cn=RAVINDRA PRASAD, o=JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD,
ou=GOVT OF JHARKHAND, postalCode=834004, st=Jharkhand,
2.5.4.20=312860001230136c4171b13102c16d9904
208007616D0a4008,
2.5.4.43=027022A4A0012081A00A14830440848474
8F504A0C3851BC1783C27A, cn=RAVINDRA PRASAD
Date: 2019.11.20 12:34:11 +05'30'



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

TOWNSHIP ADMINISTRATION BUILDING, HEC COMPLEX, DHURWA, RANCHI 834004
Telephone: 0651-2400850 (Fax)/ 2400851/2400852/2401847/2400979/2400139

Ref No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6423385/2019/2

Dated : 2019-11-20

From,

Ravindra Prasad
Regional Officer

To,

MD ALAMUDDIN ANSARI
M/S KHUSHI STONE WORKS
AT - CHHOTA TOUFIR
SAHEBGANJ

Sub : **Rejection of your application for Consent-to-Operate (C.T.O.) under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981- regarding.**

Sir,

Whereas, you have applied for grant of CTO under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 vide your application no. 6423385 dated 14/09/2019.

1. Consent application rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.
2. CTE/CTO rejected as per decision of Task force committee (TFC) Sahebganj latter no.- 1472 dated 31.10.2019.

The competent authority has, therefore, been pleased to reject your application No. 6423385 dated 14/09/2019 and undersigned directs you not to operate the unit further.

**RAVINDRA
PRASAD**


Yours faithfully,

Ravindra Prasad
Regional Officer

Memo No.: JSPCB/RO/DMK/CTO-6423385/2019/2

Dated : 2019-11-20

Copy To :- MD ALAMUDDIN ANSARI of M/S KHUSHI STONE WORKS, AT - CHHOTA TOUFIR, Po.- Borna, Distt.- Sahibganj/ Director of Industry, Government of Jharkhand, Ranchi/ Director of Mines, Government of Jharkhand, Ranchi /Deputy Commissioner, Sahibganj / Chief Inspector of Factories, Government of Jharkhand, Ranchi / D.F.O., Sahibganj/D.M.O., Sahibganj /Member Secretary, JSPCB, Ranchi for information & necessary action.



**RAVINDRA
PRASAD**

Ravindra Prasad
Regional Officer

Digitally signed by RAVINDRA PRASAD
DN: cn=RAVINDRA PRASAD, o=JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD, ou=OFFICE OF REGIONAL OFFICER, postalCode=834004, st=Jharkhand
2.5.4.30=5128496821232718AC3A7F415538464A8094
238257544764444444
2.5.4.43=5128496821232718AC3A7F415538464A8094
238257544764444444
Date: 2019.11.20 12:20:26 +05'30'



Jharkhand State Pollution Control Board

Regional Office-Cum-Laboratory, Dumka

Dated-29/08/2022

Ref. No. 967
From

Regional Officer
Dumka.

To,

The Board Analyst,
Jharkhand State Pollution Control Board,
Ranchi.

Sub:- Regarding analysis report for the month of June 2022 (20.06.2022 & 21.06.2022).

Sir,

Please find enclosed here with the analysis report of the following points of Ganga river as per details:-

1. Ganga River, At.- Rajmahal, Sahibganj
2. Ganga River U/S Near LCT ghat, Sahibganj
3. Ganga River D/S Near Janta Ghat, Sahibganj
4. Ganga River Sahibganj (Sangi Dalan) Sahibganj
5. Masanjore Dam, Dumka
6. Shiv Ganga Pond, Deoghar

This is for your information & necessary action.



Yours faithfully

Kannal
28/06/2022

Regional Officer
Dumka



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab. Ref. No. 384 / Dated. 20/6/2022
2. Name of sample **Ganga River U/S Near LCT Ghat**
Sahibganj
3. Sample collected by 1. **Sri R. D. Sahni** S. T
2.
4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, **Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	20/06/2022 /01.00 P.M
2. Temperature (A/W) C:	36 ⁰ C / 31 ⁰ C
3. pH :	7.6
4. D.O.mg/l :	7.0 mg/l
5. BOD mg/l :	1.2 mg/l
6. COD mg/l :	14.0 mg/l
7. Total solids mg/l :	140.0 mg/l
8. T. S. S. :-	30.0 mg/l
9. T. D. S.:	110.0 mg/l
10. Turbidity :	30.0 NTU
11. Conductivity :	112.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A./J.S.A 28/6/2022

Kamal
28/06/2022
Regional Officer / Board analyst

10144





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No. 383.....

Dated. 20/6/2022

2. Name of sample **Ganga River D/S Janta Ghat**

Dist.- **Sahibganj**

3. Sample collected by 1. **Sri R. D Sahni**

S. T

4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory **Tower Chowk, Dudhani, Dumka**

5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analyzed:	Value
1. Date and time sampling	20/06/2022/12.20 P.M
2. Temperature (A/W) C:	36°C / 32°C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	6.9 mg/l
5. BOD mg/l :	1.2 mg/l
6. COD mg/l :	14.2 mg/l
7. Total solids mg/l :	162.0 mg/l
8. T. S. S. :-	32.0 mg/l
9. T. D. S.:	130.0 mg/l
10. Turbidity :	30.0 NTU
11. Conductivity :	132.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A./J.S.A

[Signature]
28/6/2022

Regional Officer / Board analyst

[Signature]
28/06/2022





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No. ...382.../ Dated. 20/06/2022/
2. Name of sample **Ganga River Sahibganj (Sangi Dalan)**
Sahibganj
3. Sample collected by 1. **Sri R. D Sahni** S. T
2.
4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory **Tower Chowk, Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	20/06/2022/11.20 A.M
2. Temperature (A/W) C:	35 ⁰ C / 32 ⁰ C
3. pH :	7.6
4. D.O.mg/l :	7.0 mg/l
5. BOD mg/l :	1.3 mg/l
6. COD mg/l :	14.2 mg/l
7. Total solids mg/l :	170.0 mg/l
8. T. S. S. :-	35.0 mg/l
9. T. D. S.:	135.0 mg/l
10. Turbidity :	32.0 NTU
11. Conductivity :	138.0 MHO


Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A./J.S.A

[Signature]
28/6/2022

Regional Officer / Board analyst

[Signature]
Karnal 28/06/2022





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

- 1. Lab.Ref. No. ...381...../ Dated..20.6/2022/
- 2. Name of sample **Ganga River At.- Rajmahal, Dist.- Sahibganj**
- 3. Sample collected by 1. **Sri R. D. Sahni** S. T
2.
- 4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, Dudhani, Dumka
- 5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	20.06.2022/10.00 AM
2. Temperature (A/W) C:	36 ⁰ C / 32 ⁰ C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.2 mg/l
5. BOD mg/l :	1.3 mg/l
6. COD mg/l :	14.2 mg/l
7. Total solids mg/l :	164.0 mg/l
8. T. S. S. :-	34.0 mg/l
9. T. D. S.:	130.0 mg/l
10. Turbidity :	30.0 NTU
11. Conductivity :	134.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

[Signature]
S.S.A/J.S.A
28/6/2022

[Signature]
Regional Officer / Board analyst
28/06/2022





Jharkhand State Pollution Control Board

Regional Office-Cum-Laboratory, Dumka

Dated 14/06/2022

Ref. No. 812
From

Regional Officer
Dumka.

To,

The Board Analyst,
Jharkhand State Pollution Control Board,
Ranchi.

Sub:- Regarding analysis report for the month of June 2022 (06.06.2022 & 07.06.2022).

Sir,

Please find enclosed here with the analysis report of the following points of Ganga river as per details:-

1. Ganga River, At.- Rajmahal, Sahibganj
2. Ganga River U/S Near LCT ghat, Sahibganj
3. Ganga River D/S Near Janta Ghat, Sahibganj
4. Ganga River Sahibganj (Sangi Dalan) Sahibganj
5. Masanjore Dam, Dumka
6. Shiv Ganga Pond, Deoghar

This is for your information & necessary action.



Yours faithfully

Kamal
14/06/2022
Regional Officer
Dumka



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No. / Dated...../

2. Name of sample **Ganga River At.- Rajmahal, Dist.- Sahibganj**

3. Sample collected by **Sahibganj**
1. **Sri R. D. Sahni** S. T
2.

4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory **Tower Chowk, Dudhani, Dumka**

5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	06.06.2022/02.00 PM
2. Temperature (A/W) C:	38 ⁰ C / 33 ⁰ C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.2 mg/l
5. BOD mg/l :	1.2 mg/l
6. COD mg/l :	14.4 mg/l
7. Total solids mg/l :	166.0 mg/l
8. T. S. S. :-	36.0 mg/l
9. T. D. S.:	130.0 mg/l
10. Turbidity :	34.0 NTU
11. Conductivity :	132.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

[Signature]
S.S.A./J.S.A
17/6/22

Kamal
14/06/2022
Regional Officer / Board analyst





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No. / Dated..... /
2. Name of sample **Ganga River Sahibganj (Sangi Dalan)**
3. Sample collected by **1. Sri R. D Sahni S. T**
2. Sahibganj
4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory **Tower Chowk, Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	06/06/2022/02.20 P.M
2. Temperature (A/W) C:	38 ⁰ C / 32 ⁰ C
3. pH :	7.6
4. D.O.mg/l :	7.0 mg/l
5. BOD mg/l :	1.2 mg/l
6. COD mg/l :	14.4 mg/l
7. Total solids mg/l :	174.0 mg/l
8. T. S. S. :-	40.0 mg/l
9. T. D. S.:	134.0 mg/l
10. Turbidity :	30.0 NTU
11. Conductivity :	136.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A./J.S.A

P.K.M.
15/6/2022



10146

Kanwal
14/06/2022
Regional Officer / Board analyst



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No. / Dated..... /
2. Name of sample **Ganga River D/S Janta Ghat**
Dist.- **Sahibganj**
3. Sample collected by 1. **Sri R. D Sahni** S. T
2.
4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory **Tower Chowk, Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analyzed:	Value
1. Date and time sampling	06/06/2022/03.30 P.M
2. Temperature (A/W) C:	37 ⁰ C / 31 ⁰ C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.2 mg/l
5. BOD mg/l :	1.1 mg/l
6. COD mg/l :	14.4 mg/l
7. Total solids mg/l :	164.0 mg/l
8. T. S. S. :-	32.0 mg/l
9. T. D. S.:	132.0 mg/l
10. Turbidity :	32.0 NTU
11. Conductivity :	134.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A./J.S.A

14/06/2022

Regional Officer / Board analyst

Kamal 14/06/2022

10145





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab. Ref. No. / Dated..... /
2. Name of sample **Ganga River U/S Near LCT Ghat
Sahibganj**
3. Sample collected by 1. **Sri R. D. Sahni** S. T
2.
4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, Dudhani, Dumka
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	06/06/2022 /04.10 P.M
2. Temperature (A/W) C:	37 ⁰ C / 31 ⁰ C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.1 mg/l
5. BOD mg/l :	1.2 mg/l
6. COD mg/l :	14.0 mg/l
7. Total solids mg/l :	142.0 mg/l
8. T. S. S. :-	32.0 mg/l
9. T. D. S.:	110.0 mg/l
10. Turbidity :	32.0 NTU
11. Conductivity :	114.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A./J.S.A

10144



Regional Officer / Board analyst

Kamal 14/06/2022



Jharkhand State Pollution Control Board

Regional Office-Cum-Laboratory, Dumka

Ref. No. 691
From

Dated 31/05/2022

Regional Officer
Dumka.

To,

The Board Analyst,
Jharkhand State Pollution Control Board,
Ranchi.

Sub:- Regarding analysis report for the month of May 2022 (21.05.2022 & 22.05.2022).

Sir,

Please find enclosed here with the analysis report of the following points of Ganga river as per details:-

1. Ganga River, At.- Rajmahal, Sahibganj
2. Ganga River U/S Near LCT ghat, Sahibganj
3. Ganga River D/S Near Janta Ghat, Sahibganj
4. Ganga River Sahibganj (Sangi Dalan) Sahibganj
5. Masanjore Dam, Dumka
6. Shiv Ganga Pond, Deoghar

This is for your information & necessary action.

Yours faithfully

Kamal
31/05/2022
Regional Officer
Dumka





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No. 369...../ Dated. 21.5.2022
2. Name of sample **Ganga River At.- Rajmahal, Dist.- Sahibganj**
3. Sample collected by **1. Sri R. D. Sahni S. T**
2.
4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory **Tower Chowk, Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	21.05.2022/11.00 AM
2. Temperature (A/W) C:	38 ⁰ C / 33 ⁰ C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.2 mg/l
5. BOD mg/l :	1.1 mg/l
6. COD mg/l :	14.6 mg/l
7. Total solids mg/l :	164.0 mg/l
8. T. S. S. :-	34.0 mg/l
9. T. D. S.:	130.0 mg/l
10. Turbidity :	36.0 NTU
11. Conductivity :	134.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A/J.S.A

[Signature]
30/5/22

Regional Officer / Board analyst

[Signature]
30/05/2022





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No.370...../ Dated..21.5.2022

2. Name of sample **Ganga River Sahibganj (Sangi Dalan)**
Sahibganj

3. Sample collected by 1. **Sri R. D Sahni** S. T
2.

4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, Dudhani, Dumka

5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	21/05/2022/11.30 A.M
2. Temperature (A/W) C:	38 ⁰ C / 32 ⁰ C
3. pH :	7.4
4. D.O.mg/l :	7.0 mg/l
5. BOD mg/l :	1.3 mg/l
6. COD mg/l :	14.8 mg/l
7. Total solids mg/l :	170.0 mg/l
8. T. S. S. :-	42.0 mg/l
9. T. D. S.:	128.0 mg/l
10. Turbidity :	32.0 NTU
11. Conductivity :	130.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A./J.S.A *[Signature]* 30/05/2022

Kannal 30/05/2022
Regional Officer / Board analyst

10146





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No. ...371...../ Dated...21/5/2022

2. Name of sample **Ganga River D/S Janta Ghat**
Dist.- Sahibganj

3. Sample collected by 1. **Sri R. D Sahni** S. T
2.

4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, Dudhani, Dumka


5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analyzed:	Value
1. Date and time sampling	21/05/2022/01.00 P.M
2. Temperature (A/W) C:	39 ⁰ C / 34 ⁰ C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.0 mg/l
5. BOD mg/l :	1.2 mg/l
6. COD mg/l :	14.2 mg/l
7. Total solids mg/l :	168.0 mg/l
8. T. S. S. :-	40.0 mg/l
9. T. D. S.:	128.0 mg/l
10. Turbidity :	30.0 NTU
11. Conductivity :	130.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A./J.S.A. *[Signature]*
30/5/2022

Kamal
30/05/2022
Regional Officer / Board analyst





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab. Ref. No. ...372...../ Dated...21/5/2022
2. Name of sample **Ganga River U/S Near LCT Ghat**
Sahibganj
3. Sample collected by 1. **Sri R. D. Sahni** S. T
2.
4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory Tower **Chowk, Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	21/05/2022 /01.30 P.M
2. Temperature (A/W) C:	39 ⁰ C / 35 ⁰ C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.0 mg/l
5. BOD mg/l :	1.3 mg/l
6. COD mg/l :	14.2 mg/l
7. Total solids mg/l :	146.0 mg/l
8. T. S. S. :-	34.0 mg/l
9. T. D. S.:	112.0 mg/l
10. Turbidity :	30.0 NTU
11. Conductivity :	116.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A/J.S.A

[Signature]
30/5/2022



10144

[Signature]
30/05/2022
Regional Officer / Board analyst



Jharkhand State Pollution Control Board

Regional Office-Cum-Laboratory, Dumka

Ref. No. 663
From

Dated-21/05/2022

Regional Officer
Dumka.

To,

The Board Analyst,
Jharkhand State Pollution Control Board,
Ranchi.

Sub:- Regarding analysis report for the month of May 2022 (14.05.2022 & 15.05.2022).

Sir,

Please find enclosed here with the analysis report of the following points of Ganga river as per details:-

1. Ganga River, At.- Rajmahal, Sahibganj
2. Ganga River U/S Near LCT ghat, Sahibganj
3. Ganga River D/S Near Janta Ghat, Sahibganj
4. Ganga River Sahibganj (Sangi Dalan) Sahibganj
5. Masanjore Dam, Dumka
6. Shiv Ganga Pond, Deoghar

This is for your information & necessary action.



Yours faithfully

Kamal 21/05/2022
Regional Officer
Dumka



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Dated..) 4/5/2022

1. Lab.Ref. No. ...363...../
2. Name of sample **Ganga River At.- Rajmahal, Dist.- Sahibganj**
3. Sample collected by **1. Sri R. D. Sahni S. T**
2.
4. Sample analysed at **Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	14.05.2022/11.00 AM
2. Temperature (A/W) C:	35 ⁰ C / 29 ⁰ C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.2 mg/l
5. BOD mg/l :	1.2 mg/l
6. COD mg/l :	14.8 mg/l
7. Total solids mg/l :	166.0 mg/l
8. T. S. S. :-	36.0 mg/l
9. T. D. S.:	130.0 mg/l
10. Turbidity :	40.0 NTU
11. Conductivity :	132.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A/J.S.A



Regional Officer / Board analyst

Karna 20/05/2022



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

Dated..14/5/2022

1. Lab.Ref. No. ...36A...../
2. Name of sample **Ganga River Sahibganj (Sangi Dalan)**
3. Sample collected by 1. **Sri R. D Sahni** S. T
2. **Sahibganj**
4. Sample analysed at **Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:	Value
1. Date and time sampling	14/05/2022/11.30 A.M
2. Temperature (A/W) C:	36 ⁰ C / 30 ⁰ C
3. pH :	7.4
4. D.O.mg/l :	7.0 mg/l
5. BOD mg/l :	1.2 mg/l
6. COD mg/l :	14.6 mg/l
7. Total solids mg/l :	168.0 mg/l
8. T. S. S. :-	40.0 mg/l
9. T. D. S.:	128.0 mg/l
10. Turbidity :	34.0 NTU
11. Conductivity :	132.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A/J.S.A



10146

Kamal
20/05/2022
Regional Officer / Board analyst



JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab.Ref. No. 365...../ Dated. 14/5/2022
2. Name of sample **Ganga River D/S Janta Ghat**
Dist.- **Sahibganj**
3. Sample collected by 1. **Sri R. D Sahni** S. T
2.
4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, **Dudhani, Dumka**
5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analyzed:	Value
1. Date and time sampling	14/05/2022/01.00 P.M
2. Temperature (A/W) C:	36°C / 30°C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	6.9 mg/l
5. BOD mg/l :	1.3 mg/l
6. COD mg/l :	14.4 mg/l
7. Total solids mg/l :	166.0 mg/l
8. T. S. S. :-	42.0 mg/l
9. T. D. S.:	124.0 mg/l
10. Turbidity :	32.0 NTU
11. Conductivity :	128.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A/J.S.A

[Signature]
20/5/2022

[Signature]
20/05/2022
Regional Officer / Board analyst

10145





JHARKHAND STATE POLLUTION CONTROL BOARD

1. Lab. Ref. No. 366...../

Dated... 14/5/2022

2. Name of sample **Ganga River U/S Near LCT Ghat**

Sahibganj

3. Sample collected by 1. **Sri R. D. Sahni** S. T

2.

4. Sample analysed at Regional Office cum Laboratory Tower Chowk, Dudhani, Dumka

5. Name and designation of representative present at the time of sampling

Parameter Analysed:

Value

1. Date and time sampling	14/05/2022 /01.30 P.M
2. Temperature (A/W) C:	37°C / 31°C
3. pH :	7.5
4. D.O.mg/l :	7.0 mg/l
5. BOD mg/l :	1.3 mg/l
6. COD mg/l :	14.2 mg/l
7. Total solids mg/l :	146.0 mg/l
8. T. S. S. :-	34.0 mg/l
9. T. D. S.:	112.0 mg/l
10. Turbidity :	30.0 NTU
11. Conductivity :	116.0 MHO

Remarks: Parameters were found within acceptable limits.

S.S.A/J.S.A

[Signature]
20/5/2022

[Signature]
20/05/2022
Regional Officer / Board analyst

10144



जिला टास्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 06.04.2022 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 वन प्रमंडल, पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल।
- 6 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 कार्यपालक अभियंता (विद्युत), साहेबगंज
- 8 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा0रा0प्र0नि0प0, दुमका।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 बैठक में निर्देशित किया गया कि जिला अन्तर्गत समदानाला फेरीघाट एवं राजमहल फेरीघाट में नियमित रूप से खनिज से लदे वाहनों की जांच करे। प्रबंधक से हर 15 दिनों पर वाहनों की संख्या के साथ खनिज के परिवहन चालान को प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे। जिला टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को निर्देश दिया जाता है कि फेरी घाट पर हर 15 दिनों के अन्तराल पर जांच एवं छापेमारी करते हुए उपायुक्त महोदय को अवगत करायेंगे।

अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 2 जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 31.03.22 को जिले के 22 खनन पट्टे समाप्त हो गये हैं, जिनकी सूची सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी गयी है। इस संदर्भ में उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को भी उपलब्ध करा दे एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि समाप्त खनन पट्टों पर अवैध खनिकर्म न हो, जिस पर सशक्त निगरानी बनाये रखें।

अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 3 जिला में धारित खनन पट्टों को भी नियमित जांच करते हुए नियम विरुद्ध कार्य करने पर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये एवं वैसे क्रशर संचालक जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं उन सब पर कार्यवाही किया जाये।

अनुपालन- क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा0रा0प्र0नि0प0, दुमका।

- 4 जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वाहनों की जांच एवं क्षमता से अधिक परिवहन कराने पर 15,67,302 रुपये की वसूली की गयी है। बिना तिरपाल ढंक कर चलाया जा रहे वाहनों पर दण्ड शुल्क वसूली की गयी है।

अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।



- 5 जिला के धारित खनन पट्टो का जी आई एस0 मैपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टाल करने पर चर्चा की गयी। वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को इससे संबंधित प्रारूप तथा मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया। जिसके लिए प्रबंधकीय समिति DMFT से अनुमोदित कराते हुए फंड प्राप्त की जायेगा।

अनुपालन— वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 6 जिले में चल रहे फेरी घाटों से जहाज जिसपर ट्रकों का परगमन होता है इस संदर्भ में प्रबंधक को निर्देशित किया जाये कि फेरी घाटों से जहाज पर क्षमता से अधिक लोड न हो। किसी भी खनिज से लदे वाहनों पर भी क्षमता से अधिक अधिभार न हो तथा वाहनों के ड्राइवर एवं खलासी गाड़ी में न बैठे, चालक एवं उप चालक को बैठने की अलग स्थान निर्धारित करेंगे। ट्रकों को तिरपाल से ढक कर ही परिचालन का अनुमति दें।

अनुपालन—टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 7 बार—बार समाचार पत्रों एवं भवदीय को सूचना प्राप्त हो रही है कि गंगा के किनारे मिट्टी का उठाव कर व्यापार किया जा रहा है। इस संदर्भ में उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि गंगा के किनारे मिट्टी का कटाव न हो अगर करते हुए पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाई करें।

अनुपालन— संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी।

- 8 बैठक में यह भी विचार किया गया कि की गयी प्राथमिकी में नामित व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाय। ताकि अवैध खनिकर्म पर अकुंश लगाया जा सके एवं यह भी सुनिश्चित किया जा कि पुनः उक्त स्थल पर अवैध खनिकर्म न हो।

अनुपालन— संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी।

- 9 बालू के सदंर्भ में भी चर्चा की गयी एवं निर्देशित किया गया कि सड़क किनारे कहीं भी बिना भंडारण अनुज्ञप्ति धारण किये व्यापार न हो। बालू के अवैध खनन पर भी नियमित छापेमारी की जाय।

अनुपालन— सभी सदस्य।

- 10 कोटालपोखर में गाँव से सटे हुए क्षेत्रों पर खनिकर्म न हो एवं बिना CTE एवं CTO का प्राप्त किये क्रशरों का संचालन न हो इसपर भी कारवाई सुनिश्चित करें।

अनुपालन— सभी सदस्य।

- 11 रात्रि में खनिज से लदे वाहनों की भी जांच प्रत्येक सप्ताह सघन पैमाने पर जांच करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन— सभी टास्क फोर्स, सदस्य।

- 12 बिहार ले जा रहें बोल्टर के सदंर्भ में यह निर्देशित किया गया कि संबंधित विभाग से आपूर्ति की गयी खनिज का स्वामिस्व एवं खनिज परिवहन चालान की मांग करें, ताकि राजस्व श्राव का मामला न बने।

अनुपालन— जिला खनन पदाधिकारी।




13 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा0रा0प्र0नि0प0, दुमका को निर्देशित किया गया निरीक्षण के दौरान निर्गत CTE/CTO के मानक के अनुरूप नहीं चल रहे क्रशरों, खनन पट्टा की जांच कर एवं उसमें अवैध पाये जाने पर जांच प्रतिवेदन के साथ उपायुक्त, महोदय को समर्पित करेंगे।

अनुपालन— क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा0रा0प्र0नि0प0,
दुमका।

14 पूर्व में जो भी क्रशरों को सील किया गया है उसकी संचालन न हो इस पर भी निगरानी बनाये रखें एवं संचालित पाये जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कारवाई करें।


अनुपालन— सभी टास्क फोर्स, सदस्य।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।


उपायुक्त,
साहेबगंज।


ज्ञापांक...308.../एम0, दिनांक...7/4/22...

प्रतिलिपि : निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक...../एम0, दिनांक.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/वन प्रमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टास्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 04.03.2022 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की एवं सदस्य सचिव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दिल्ली की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, रांची।
- 3 प्रोफेसर, IIT कानपुर
- 4 प्रोफेसर, IIT दिल्ली।
- 5 अपर निदेशक CPCB, RD चंडीगढ़।
- 6 जी०पी० सिंह, पर्यावरणीय सदस्य, कोलकाता
- 7 वन प्रमंडल, पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 8 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 9 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 10 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल।
- 11 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 12 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 13 कार्यपालक अभियंता (विद्युत), साहेबगंज
- 14 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा०रा०प्र०नि०प०, दुमका।
- 15 सभी अंचल अधिकारी।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 सर्वप्रथम जिला के खनन से संबंधित विस्तृत जानकारी उपायुक्त महोदय द्वारा बताया गया, तत्पश्चात् जिला टास्क फोर्स खनन द्वारा किये गये विगत वर्षों के संबंध में परिचर्चा की गयी।
अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।
- 2 बैठक में सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दिल्ली द्वारा बताया गया कि NH, SH से पहुँच पथ तक कोंक्रीट का पक्की रोड निर्माण कर रास्ते का व्यवहार किया जाय, ताकि पर्यावरण पर इसकी प्रतिकूल असर पड़े।

अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 3 सदस्यों द्वारा यह भी बताया गया कि खनन क्षेत्र में ही क्रशरों को स्थापित कर संचालित किया जाय।

अनुपालन- टास्क फोर्स के सभी सदस्य।



- 4 बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि खनन पट्टेधारी एवं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्वयं के अलावे अन्य एजेंसी से अपने खनन क्षेत्र एवं अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर वृक्षरोपन कराये, जिससे प्रदूषण की रोकथाम हो सके।

अनुपालन— टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 5 विचार किया गया कि सभी अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर Water Sprinkle System को सूचारु रूप संचालित रखें।


अनुपालन—टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 6 बैठक में यह भी विचार किया गया कि सभी खनन पट्टेधारी एवं अनुज्ञप्तिधारी अपने पट्टा स्थल एवं अनुज्ञप्ति स्थल पर Web-Cam/CCTV को लगाना सुनिश्चित करेंगे।

- 7 धारित खनन पट्टों का जी आई एस0 मैपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टाल करने पर चर्चा की गयी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को इससे संबंधित प्रारूप तथा मेप तैयार करने का निर्देश दिया गया।


- 8 बैठक में यह भी परिचर्चा हुई कि इस जिला अन्तर्गत फेरी घाट में जहाजों के माध्यम से ट्रकों का पारगमन होता है इस संदर्भ में विचार हुआ कि वहाँ भी कोई भी बड़े वाहनों की दुलाई में तिरपाल ढक कर चलें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।


उपायुक्त,
साहेबगंज।


ज्ञापांक...../एम0, दिनांक.....

प्रतिलिपि : निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 213 /एम0, दिनांक 9/3/22

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/वन प्रमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टास्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 17.02.2022 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 वन प्रमंडल, पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल।
- 3 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 विद्युत कार्यपालक अभियंता, साहेबगंज।
- 5 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज
- 6 क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिनिधि, झा0रा0प्र0नि0प0, दुमका।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 NGT में चल अरशद नसर बनाम भारत सरकार एवं अन्य की मामला में पारित आदेश के अनुरूप विशेष रूप से जाँच करते हुए कारवाई की जाये।

अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 2 निर्देश दिया गया कि साहेबगंज जिलान्तर्गत फेरीघाट में नियमित रूप जाँच की जायें एवं खनिज से लदे वाहनों पर अंकुश लगाया जाय। साथ ही फेरीघाट से खनिज परिचालन हेतु उपयोग किये जा रहें ट्रकों को तिरपाल से ढककर चलाने हेतु कहा गया।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/
राजमहल, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 3 साहेबगंज जिलान्तर्गत प्रबंध निदेशक, बिजली विभाग, झारखंड रांची को पत्राचार की जाय कि बिना खनन पट्टा/ अनुज्ञप्ति के विद्युत कन्केशन नहीं दिया जाये एवं इस प्रक्रिया में सहमति पत्र (CTO) का प्रावधान को लाया जाये।

अनुपालन- जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा मदनशाही गंगा घाट में जप्त किये गए स्टोन चिप्स की नीलामी इतिशीघ्र करायें।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।



- 5 कोटालपोखर एवं मिर्जाचौकी में बिना CTE/CTO के चल रहे क्रशर एवं खनन पट्टों की जांच कर अवैध पाये जाने पर निमानुसार कार्रवाई की जाये।

अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 6 मंडरो अंचल में सील किये क्रशरों में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के प्रतिवदेन के आधार पर अधोहस्ताक्षरी के स्तर से नोटिस निर्गत करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाये।

अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 7 दायर प्राथमिकी के विरुद्ध गिरफ्तार करने हेतु निदेश दिया गया।


अनुपालन- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,
साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।


उपायुक्त,
साहेबगंज।


ज्ञापांक...145.../एम0, दिनांक...17/12/22...

प्रतिलिपि : निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक...145.../एम0, दिनांक...17/12/22...

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/वन प्रमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 27.01.2022 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 वन प्रमंडल, पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 2 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा0रा0प्र0नि0प0, दुमका।
- 6 विद्युत कार्यपालक अभियंता, साहेबगंज।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 बैठक में निर्देश के आलोक में NGT में चल अरशद नसर बनाम भारत सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2021 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।
अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।
- 2 बैठक में यह निर्देश दिया गया कि सदस्य सचिव एवं अध्यक्ष J.S.P.C.B. राँची को पत्र निर्गत किया जाय कि किस परिस्थिति में सहमति पत्र को रद्द करने के बाद उसे पुनः जिवित किया गया। पुनः विचार करें एवं NGT के पारित आदेश के अनुरूप निर्णय लें।

अनुपालन-क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झा0रा0प्र0नि0प0, दुमका।

- 3 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका से जानकारी प्राप्त की जाये कि N.H , Railway एवं रिहाईसी इलाकों में संचालित क्रशरों की सूची के बाबत अभीतक क्या कार्यवाई हुई है। किये गये कार्यवाई की सूची बनाकर प्रस्तुत करें।

अनुपालन-क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड
राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका

- 4 कार्यपालक अभियंता (विद्युत) साहेबगंज को निर्देशित किया गया कि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी सूची में कितनों को विद्युत विच्छेद किया गया है के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये, साथ ही बिना आवश्यक कागजात यथा भंडारण अनुज्ञप्ति, सहमति पत्र (CTE/CTO) के संचालित क्रशरों का विद्युत विच्छेद करते हुए नये विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जाये। इस संबंध में विद्युत विभाग के वरीय पदाधिकारी से पत्राचार किया जाये।

अनुपालन- कार्यपालक अभियंता (विद्युत) साहेबगंज।

- 5 फेरीघाट वालों को संसूचित किया जाय कि ट्रक ड्राइवर को परगमण करते समय अपनों ट्रकों में नही बैठकर बल्कि जहाज के केबिन में बैठें।

अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी,
साहेबगंज एवं राजमहल।



- 6 बैठक में यह निर्देश दिया गया कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे अवस्थित ईट चिमनी, भट्ठा बाढ़ प्लान के तहत तथा N.H, S.H, Railway एवं रिहाईसी इलाकों में 100/200 मीटर के अंदर संचालित क्रशरों को बंद करा दिया जाय।

अनुपालन—अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल, क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 7 साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित वैसे सभी पत्थर खदानों में जहाँ विस्फोटक का प्रयोग होता है, जिसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को पत्र नहीं आता है। विस्फोटकों की जाँच संबंधित थाना के थाना प्रभारी द्वारा नियमित रूप से किया जाय, अगर कहीं विस्फोटकों का उपयोग अधिक मात्रा होती है तो इस संबंध में त्वरित कार्रवाई हो।

अनुपालन— अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल।

- 8 सभी संबंधित थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि संबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत पड़नेवाले खनन क्षेत्रों में पार्यावरण संरक्षण के तहत बारुद की मात्रा की जाँच करते हुए इसकी सूचना जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को दी जाय।

अनुपालन— अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा।

- 9 प्रत्येक सप्ताह में कम से कम तीन बार जिला टास्क फोर्स (खनन) द्वारा अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु छापेमारी की जाये।

अनुपालन—सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

[Handwritten Signature]
उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 11.10.2021 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 वन प्रमंडल, पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 6 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल।
- 7 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरहरवा।
- 8 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 10 विद्युत कार्यपालक अभियंता, साहेबगंज।
- 11 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 12 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झा0रा0प्र0नि0प0, दुमका।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 NGT में चल अरशद नसर बनाम भारत सरकार एवं अन्य की मामला पर विशेष रुप से जाँच करते हुए कारवाई की जाये।

अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।

- 2 निर्णय लिया गया कि रिहाईसी इलाका रहने के कारण जिलेबिया घाटी में स्थित क्रशरों/खदानों की जांच कर तत्काल प्रभाव से बंद कराते हुए निमयानुसार कार्रवाई करना।

अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 3 मिर्जाचौकी एवं रिसोड़ मोड़ पर अस्थाई कार्यरत चेकनाका का कैमरा इत्यादि की जांच नियमित रुप से करें।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल
एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 4 साहेबगंज जिलान्तर्गत बिना CTE/CTO के चल रहे क्रशर एवं खनन पट्टों की जांच कर अवैध पाये जाने पर निमानुसार कार्रवाई की जाये।

अनुपालन-टास्क फोर्स के सभी सदस्य।



- 5 साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदानों एवं हेवी ब्लास्टिंग की नियमित रूप जांच कर अवैध पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

अनुपालन— अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं राजमहल।

- 6 साहेबगंज—बोरियो रोड में तीमुहानी के पास एवं तीनपहाड़ रोड के तरफ से आने वाले खनिज से लदे वाहनों की जांच कर अवैध पाये जाने पर निमानुसार कार्रवाई की जाय।

अनुपालन— अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज,
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला
खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 7 बरहेट अंचलन्तर्गत माजा केशोफुली में चल रहे अवैध कोयले के खदानों की जांच कर खदान को ध्वस्त करना।

अनुपालन— अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज,
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला
खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 8 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देशित किया गया कि नावों को निबंधित करना है।

अनुपालन— जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापाक... 1036 / एम0, दिनांक... 11/10/21.....

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल
/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन
पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,
साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उपायुक्त,
साहेबगंज।

जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 07.09.2021 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 वन प्रमंडल, पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 6 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल।
- 7 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरहरवा।
- 8 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 9 विद्युत कार्यपालक अभियंता, साहेबगंज।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 निर्णय लिया गया कि रिहाईसी इलाका रहने के कारण जिलेबिया घाटी में स्थित क्रशरों/खदानों की जांच कर तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया जाय।

अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 2 बरहेट अंचल में नियमित रूप जांच कर बालू के अवैध उठाव/भंडारण स्थल को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाई सुनिश्चित करें।

अनुपालन- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरहरवा
एवं सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स खनन

- 3 बाकुडी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे जनरल साईडिंग हो रहे पत्थर प्रेषण एवं अवस्थित क्रशरों को बंद कराये।

अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल,

- 4 वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को वन भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त समर्पित करना सुनिश्चित करें, चूँकि बार-बार स्मार प्रत्र प्राप्त हो रहें हैं।

अनुपालन- वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।



- 5 बरहरवा अंचलन्तर्गत कोटालपोखर में पुल के नीचे से पारगमन हो रहें वाहनों को नियमित रूप से जांच कर खनिजों से लदे वाहनों पर करवाई सुनिश्चित करें।

अनुपालन— अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरहरवा एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 6 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्रर्षद, दुमका को निर्देशित किया गया कि केवल नोटिस ही निर्गत नहीं किया जाय, बल्कि निर्गत नोटिस पर कार्रवाई भी की जाये।

अनुपालन – क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण प्रर्षद, दुमका

- 7 साक्षरता चौक के पास काफी मात्रा में अवैध बालू को भंडारित कर व्यापार किया जाता है। जिसे तत्काल बंद कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन— अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

- 8 DRM, मालदा को साहेबगंज रेलवे साईडिंग बंद कर अन्य जगहों पर स्थानान्तरण करने पर विचार किया गया है एवं पत्र प्रेषित की गयी है।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 918 / एम0. दिनांक 21/01/21

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उपायुक्त,
साहेबगंज।

जिला टास्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 26.07.2021 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 वन प्रमंडल, पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 6 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल।
- 7 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बरहरवा।
- 8 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 9 विद्युत कार्यपालक अभियंता, साहेबगंज।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 निर्णय लिया गया कि रिहाईसी इलाका रहने के कारण जिलेबिया घाटी में स्थित क्रशरों की जांच सहमति पत्र (CTO) के अनुरूप दूरी मापी के उपरांत अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया जाय।
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 2 साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदानों की नियमित रूप से जाँच करना। साथ ही हेवी ब्लास्टिंग न हो इस संबंध में व्यवहृत बारुदों की जाँच नियमित रूप से की जाये।
अनुपालन- सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स खनन
- 3 निदेशित किया गया कि सकरीगली-महाराजपुर रोड, रेलवे साईडिंग के किनारे तथा NH, SH सड़क, अन्य जगहों एवं जहाँ पानी वाधित हो रहा हो पर स्टोन चिप्स या स्टोन डस्ट काफी मात्रा में गिराया गया है, उससे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जांच कर Disaster management Act and 133 के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे।
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल/
साहेबगंज
- 4 साक्षरता चौक से मदनशाही फाटक तक अवैध बाढ़ को भंडारित कर प्रेषण की नियमित रूप से जाँच कर अवैध भंडारणकर्ता / परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।
अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज /
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका को पूर्व में निर्गत पत्र के आलोक में CTE एवं CTO रद्द करने हेतु पत्र निर्गत किया गया था, जिसपर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण खेद व्यक्त की गयी तथा इसे अनुपालित कराने हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया गया है।
अनुपालन- वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।



- 2 -

- 6 जिला में अवस्थित चेकपोस्ट पर दण्डाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए नियमित रूप से खनिज से लदे वाहनों की जांच कराने का विचार किया गया।
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल।
- 7 कार्यपालक अभियंता बिद्युत, को निर्देशित किया गया कि बिना CTE/CTO प्राप्त के नये विद्युत का कन्केशन नहीं दिया जाय तथा नोट्री की गयी जमीन पर भी नही दी जाय, क्योंकि आदिवासी के जमीन रहने से केवल नियत समय के लिये एकरारनामा ही होता है। साथ ही विद्युत होने के कारण अवैध क्रशर के संचालन की संभावना बढ़ जाती है।

अनुपालन- कार्यपालक अभियंता बिद्युत साहेबगंज।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

ह/=
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक... 731.../एम0, दिनांक 27/7/21

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टास्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 25.05.2021 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 4 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 5 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 6 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी। तत्पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

- 1 निर्णय लिया गया कि रिहाईसी इलाका रहने के कारण जिलेबिया घाटी में स्थित क्रशरों की जांच कर तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया जाय।
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 2 ईट भट्टों की नियमित जाँच करते हुए अवैध पाये जाने पर ईट संचालको के विरुद्ध प्राथमिकी दायर करना है।
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल,
जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 3 निदेशित किया गया कि सकरीगली-महाराजपुर रोड, रेलवे साईडिंग के किनारे तथा NH. SH सड़को पर स्टोन चिप्स या स्टोन डस्ट काफी मात्रा में गिराया गया है, उससे संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध जांच की कानूनी कार्रवाई करेंगे।
अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल,
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल
- 4 अवैध खनन/परिवहन की नियमित रूप से जाँच कर अवैध खननकर्ता/ परिवहनकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।
अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल
जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज/जिला खनन
पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 5 अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में जिला टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ अवैध क्रशर की जांच की जाये, ताकि अवैध क्रशर पर अंकुश लगाया जा सके।
अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल
जिला टास्क फोर्स के सदस्य।
- 6 जिला समादेष्टा कार्यालय एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय बांसकोला के आस-पास खदानों से पत्थर, मिट्टी को पहाड़ के उपरी भाग से गिरा दिया जाता है, जिससे समादेष्टा कार्यालय एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय को क्षति होने की संभावना बनी हुई है, जिसकी जांच कर



उसके आस-पास खनन क्षेत्रों की मापी तथा विडीयोग्राफी कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनुपालन-अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल,
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल

- 7 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा को निर्देशित किया गया कि साहेबगंज जिलान्तर्गत जो भी एक्सप्लोसिव का व्यवहार करते हैं उसकी जांच नियमित रूप से की जाय। साथ ही सभी पट्टेधारियों को DGMS से अनुमोदित किया गया प्रथम श्रेणी प्रबंधक या द्वितीय श्रेणी प्रबंधक रखना अनिवार्य है। साथ ही विस्फोटक व्यवहार के समय उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। जिसकी भी निगरानी रखेंगे।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा।

- 8 नमामि गंगे के प्रावधानों के तहत गंगा नदी/ सड़क से पत्थर प्रेषण करने वाले नावों/ट्रकों को तिरपाल से ढककर प्रेषण की जाये। संबंधित व्यक्तियों द्वारा अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाय। साथ ही ओभरलोडेड वाहनों की नियमित जाँच करना।

अनुपालन- जिला परिवहन पदाधिकारी।

- 9 अवैध खनन/परिवहन कर्ताओं के उपर दायर प्राथमिकी में गिरफ्तारी करना सुनिश्चित की जाय।

अनुपालन- अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,
साहेबगंज/राजमहल/बरहरवा।

- 10 समदाघाट में अवैध पत्थर प्रेषण करने वाले के विरुद्ध छापेमारी कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाय। साथ ही कटिहार जिला के अनुरोध पर प्रेषित पत्थर का भी नियमित जांच करेगे।

अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

४०१
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक. 495/एम०, दिनांक 26/5/21

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, राजमहल एवं बरहरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उपायुक्त

जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 10.02.2021 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज
- 2 वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 6 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका।
- 7 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी।

- 1 सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, झारखंड रांची को प्रेषित पत्र के आलोक में क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका द्वार बताया गया कि मुख्यालय से सभी को अंतिम सुनवाई हेतु नोटिस निर्गत की गयी है।

- 2 रिहाईसी इलाकों, गाँव, सड़क के आस-पास संचालित क्रशरो को 15 दिनों का नोटिस निर्गत कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया। समयावधि में क्रशर मशीन रिहाईसी इलाकों, गाँव, सड़क से अन्यत्र जगहों पर शिफ्ट कर लिया जाता है तो सही अन्यथा वैसे सभी ईकाई को बंद करा दिया जाय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका को पत्र निर्गत करते हुए सभी संचालित क्रशरों को निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (CTE) एवं सहमति पत्र (CTO) रद्द कर दी जाय।

(क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

- 3 क्रशर ईकाई संचालित करने के पूर्व भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पहले संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी को पंचायत द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही भूमि से संबंधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की कार्यवाही की जाय।

(अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज / राजमहल एवं सभी अंचल अधिकारी)

- 4 पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ पर अवस्थित क्रशर के संचालन से धूलकन उड़कर खेतों में आ जाने से कृषि योग्य भूमि बर्बाद हो रही है। जिसके देखते हुए निर्देशित किया गया कि पहाड़ पर संचालित सभी क्रशर का तत्काल बंद कराते हुए उन्हें अन्यत्र जगह शिफ्ट करने हेतु नोटिस निर्गत किया जाय।

- 5 डीलर अनुज्ञप्ति क्षेत्र में तैयार स्टोन डस्ट की व्यवहार हेतु वैज्ञानिक ढंग से खोज की जाय। (जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन))



5. सभी खनन पट्टेधारी/अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जाय कि प्राकृतिक झरनों के बचाव हेतु अपने खनन क्षेत्र एवं अनुज्ञप्ति क्षेत्र में हुम पाईप लगाकर जल संचयन की व्यवस्था की जाय, न कि प्राकृतिक झरनों को नष्ट कर। इससे झरनों की सौंदर्यता बरकरार रहेंगी तथा धुलकन के साथ पानी का बहाव खेत में न जाने से कृषि योग्य भूमि बनी रहेगी।

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन))

6. बिहार राज्य के अनुरोध पर गंगा कटाव की रोकथाम हेतु बोल्टर आपूर्ति हेतु नावों से पत्थर लोड हेतु नदी के किनारे से 100 की दुरी पर डम्प करते हुए CCTV के निगरानी में वैध चालान के साथ पत्थर प्रेषण की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही अन्य जगह से पत्थर प्रेषण कार्य की सूचना मिलते ही रोक लगा दी जाय।

(अपर समाहर्ता, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं राजमहल)

7. बरहरवा अंचल अन्तर्गत कोटालपोखर में अवैध खनन एवं अवैध रूप से संचालित क्रशरों की जाँच नियमित रूप की जायेगी एवं प्रत्येक सप्ताह जांच प्रतिवदेन जिला खनन पदाधिकारी, को उपलब्ध करा दिया जाय।

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन))

8. साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित सभी ईट भट्टों एवं चिमनियों की जाँच नियमित रूप की जाये एवं बाल मजदूर काम न करें यह भी सुनिश्चित कराये।

(अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज एवं राजमहल)

9. राजमहल घाट में सरकारी 2 जहाज को आम जनता के आवगमन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा पत्राचार कर बंगाल राज्य के मालदा जिला के जिला कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर 2 जहाज प्राप्त कर संचालन की व्यवस्था करायेंगे। पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त साहेबगंज / पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज, उपायुक्त मालदा(प0बं0) पुलिस अधीक्षक, मालदा(प0बं0) को उपलब्ध करायेंगे।

(अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल)

10. खनिज से लदे वाहनों की जाँच नियमित रूप से करना तथा पत्थर प्रेषण कर्ता एवं वाहन मालिको द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि खनिज प्रेषण के पूर्व खनिजों को तिरपाल से ढककर प्रेषण किया जाय। इसकी भी जाँच नियमित रूप से की जाय।

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन))

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक...162.../एम0, दिनांक...11.2.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उपायुक्त,
साहेबगंज।

जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 07.10.2020 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 2 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 पुलिस उपाधीक्षक, साहेबगंज।
- 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका।
- 6 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

1. उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी।
2. वैसे क्रशर संचालक जो नियमों, शर्तों एवं प्रावधानों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाय।

(सभी सदस्य जिला खनन टास्क फोर्स)

2. N.H/S.H सड़क/रेल किनारे 100 मीटर दूरी पर अवस्थित क्रशर को जाँच कर हटवाते हुए उनके क्रशर का प्रदूषण सहमति पत्र एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने का निर्देश दिया गया।

(क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

3. अवैध खनन कर्त्ताओं को चिन्हित कर नियमित छापेमारी करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

(सभी सदस्य जिला खनन टास्क फोर्स)

4. गंगा के किनारे पत्थर/डम्प या प्रेषण न हो इसके लिये विशेष अभियान चालाकर पत्थर डम्प करने वाले नाव, वाहन जो अवैध ढुलाई में संलग्न हो उनलागो को गिरफ्तार करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को बताया गया कि गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण का कार्य करायें।

(सभी सदस्य जिला खनन टास्क फोर्स)

5. पत्थर ढुलाई में लगे वाहनों का लगतार अभियान चालाकर वाहनों का पंजीकरण, इन्सोरेंस आदि का जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाय।

(जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज)



- 6 G.M Land पर धारित खनन पट्टा की सूची उपलब्ध कराने के संदर्भ में बताया गया।
- 7 अवैध स्थल पर जाने का रास्ता को अवरुद्ध करने हेतु विचार किया गया।
- 8 साहेबगंज जिलान्तर्गत जितने भी खदान/क्रशर मशीन संचालित है वे अपने खदान/क्रशर मशीन पर नियमित रूप से जल का छिड़काव एवं खनिजों का प्रेषण तिरपाल ढककर करेंगे।

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी)

साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदान/क्रशर मशीनों में कार्यरत मजदूरों को नियमित रूप से कोटालपोखर, सकरीगली, मिर्जाचौकी, महादेवगंज में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मजदूरों की जाँच कर बिमारी पाये जाने पर उनको दवाईयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।


(अनुपालन, सिविल सर्जन, साहेबगंज, जिला खनन

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।

ह/ः
उपायुक्त,
साहेबगंज।

पांक...1159.../एम0, दिनांक...12/10/2020

तेलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 04.02.2020 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 अपर समाहर्ता, राजस्व, साहेबगंज।
- 3 वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका।
- 6 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

1. उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी।
2. N.H/S.H सड़क/रेल किनारे 100 मीटर दूरी पर अवस्थित क्रशर को जाँच कर हटाने संबंधी निर्देश दिया गया।

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका)

3. गंगा के किनारे पत्थर/डम्प या प्रेषण न हो इसकी निगरानी बनाये रखने के साथ ही एल0सी0टी0 के प्रबंधक को पत्र देकर बिना परिवहन चालान के खनिजों का पारगमण न हो इसके साथ सप्ताह में कम से कम दो बार इसकी जाँच कर निगरानी के साथ आवश्यक कार्यवाई करने हेतु निर्देश दिया गया

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी)

4. साहेबगंज जिलान्तर्गत सभी रेलवे साईडिंग की नियमित जाँच कर आवश्यक कार्यवाई करेंगे।

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी)

6. साहेबगंज जिलान्तर्गत जितने भी खदान/क्रशर मशीन संचालित है वे अपने खदान/क्रशर मशीन नियमित रूप से जल का छिड़काव एवं खनिजों का प्रेषण तिरपाल ढककर करेंगे।

(अनुपालन, अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी)



7. साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदान/क्रशर मशीनों में कार्यरत मजदूरों को नियमित रूप से कोटालपोखर, सकरीगली, मिर्जाचौकी, महादेवगंज में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मजदूरों की जाँच कर विमारी पाये जाने पर उनको दवाईयों को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन, सिविल सर्जन, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

8. साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदान में सीमांकन कर सीमास्तम्भ लगाना/क्रशर मशीनों में चहारदिवारी करवाना सुनिश्चित करायेगे।


9. साहेबगंज जिलान्तर्गत संचालित खदान/क्रशर पर कार्यरत मजदूरों के लिये श्रम विभाग द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के अन्तर्गत निबंधन भी किया जाय, जिससे उनके भविष्य सुरक्षित हो सकें।

(अनुपालन, श्रम अधीक्षक/जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

10. जिले में चल रह अवैध खनन को रोकने के लिये जिला टास्क फोर्स (खनन) तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे।


(अनुपालन सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स(खनन) एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक. 148 / एम0, दिनांक. 12/2/20

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज /क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 18.11.2020 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

- 1 पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
- 2 अपर समाहर्ता, साहेबगंज।
- 3 अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 4 अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।
- 5 क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका।
- 6 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 7 जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
- 8 विद्युत का0 अभि0 साहेबगंज।

1. उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही एवं उसके अनुपालन की समीक्षा की गयी।

2. जैसे खनन पट्टेधारी एवं क्रशर संचालक जो नियमों, शर्तों एवं प्रावधानों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध EC/CTO को रद्द करने हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार किया जाय।
(जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

3. सभी क्रशर संचालक क्रशर स्थल से मुख्य मार्ग तक पहुँचने हेतु निजी रोड का व्यवहार करने, नियमित रूप से पानी का छिड़काव करना तथा पहुँच पथ का उपयोग नहीं करने हेतु निर्देशित किया जाय।

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन))

4. N.H/S.H सड़क/रेल किनारे 100 मीटर दूरी पर अवस्थित क्रशर को जाँच कर हटवाते हुए उनके क्रशर का प्रदूषण सहमति पत्र एवं अनुज्ञप्ति को रद्द करने का निर्देश दिया गया।

(क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका
एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

5. रेलवे साईडिंग का नियमित रूप से जाँच कर अवैधकत्ताओं के विरुद्ध कारवाई एवं बिना परिवहन चालान के रक द्वारा परिवहन करने पर रेलवे विभाग को इण्डेन्ट स्वीकार नहीं करने हेतु पत्राचार करना।

(जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।)



6. गंगा के किनारे पत्थर/डम्प या प्रेषण न करने वाले नाव, वाहन जो अवैध ढुलाई विशेष अभियान चलाकर पत्थर डम्प को उनलागो को गिरफ्तार करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से नाव प्राप्त कर गंगा नदी में नियमित छापेमारी करना सुनिश्चित करेंगे। अजप्त नाव को उपायुक्त के न्याया में Confiscation (राज्यसात) करने हेतु अनुरोध किया जाये।

(सभी सदस्य जिला टास्क फोर्स (खनन))


- 7 क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका द्वारा साहेबगंज जिलान्तर्गत किये गये निरीक्षण की सूची प्राप्त करना।

(क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका एवं जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज)

- 8 जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा नियमित रूप से ट्रको की जाँच करना। जिस पर जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा बताया गया कि ट्रको की जाँच का 33.00 लाख रुपये की वसूली की गयी है।

(जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक समाप्त की गयी।


उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक.12.67...../एम0, दिनांक.24/11/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 11.10.18 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष
जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

1. पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
 2. अपर समाहर्ता, राजस्व, साहेबगंज।
 3. अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल।
 4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
 5. क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद,
के पदाधिकारी, दुमका।
 6. जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
 7. जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
 8. अंचलाधिकारी, बोरियो, मंडरो, साहेबगंज, तालझारी, राजमहल, बरहरवा, पतना, उधवा एवं बरहेट।
1. उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही के अनुरूप छापेमारी अभियान को और अधिक चलाने का निर्देश दिया गया।
 2. सभी अंचलाधिकारी को भी खनन पट्टों का नियमित जांच एवं सीमांकन कराने का निदेश दिया गया, ताकि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग सके।
 3. उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि बरहरवा एवं कोटालपोखर में गहन छापेमारी करने की आवश्यकता है।
 4. बरहेट में अवैध बालू के उठाव एवं जप्त कर अवैध भंडारणकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
 5. अंचल अधिकारी, बरहरवा एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि संयुक्त रूप से अवैध खनन एवं परिवहन पर छापेमारी और अवैधकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे।
 6. अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया संबंधित अंचल के अधिनस्थ खनन पट्टों की जांच कर की गयी कार्रवाई से उपायुक्त महोदय को तार के 10वीं तिथि तक अपगत करायेंगे। साथ ही पुलिस अधीक्षक से कहा गया कि अपने स्तर से सभी थाना प्रभारी को सहयोग प्रदान करने हेतु निदेश दिया जाय, ताकि अवैध खनन एवं परिवहन पर सतर्क निगरानी रखा जा सके।



7. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, दुमका के क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि साहेबगंज जिलान्तर्गत अद्यतन निर्गत CTE एवं CTO की सूची एवं लंबित CTE एवं CTO की सूची जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक को समाप्त की गयी।

Kumar
15/10/18

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक...1593/एम0, दिनांक...15/10/18

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस उपधीक्षक, साहेबगंज एवं राजमहल/ सहायक निदेशक, भूतत्व, दुमका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी, बोरियो, साहेबगंज, मंडरो, तालझारी, राजमहल, बरहरवा, पतना, बरहेट एवं उधवा को सूचनार्थ।

Kumar
15/10/18


उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला टॉस्क फोर्स (खनन) साहेबगंज की बैठक दिनांक 15.09.18 को उपायुक्त -सह- अध्यक्ष
जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की अध्यक्षता में आहूत की गई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति पंजी के अनुसार

1. पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज।
 2. अपर समाहर्ता, राजस्व, साहेबगंज।
 3. अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/राजमहल।
 4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज।
 5. क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद,
के पदाधिकारी, दुमका।
 6. जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज।
 7. जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।
 8. अंचलाधिकारी, बोरियो, मंडरो, साहेबगंज, तालझारी, राजमहल, बरहरवा, पतना, उधवा एवं बरहेट।
1. उपायुक्त महोदय के द्वारा सर्वप्रथम गत बैठक की कार्यवाही के अनुरूप छापेमारी अभियान को और अधिक चलाने का निर्देश दिया गया।
 2. उपायुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि बरहरवा एवं कोटालपोखर में गहन छापेमारी करने की आवश्यकता है।
 3. बरहेट में अवैध भंडारित बालू को जप्त कर अवैध भंडारणकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
 4. अंचल अधिकारी, बरहरवा एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि संयुक्त रूप से अवैध खनन एवं परिवहन पर छापेमारी और अवैधकर्ता पर प्राथमिकी दर्ज करेंगे।
 5. समदानाला, सकरीगली में भी सर्तक निगरानी बनाने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया और कहा गया कि की गयी कार्रवाई से उपायुक्त महोदय को अवगत करायेंगे। साथ ही पुलिस अधीक्षक से कहा गया कि अपने स्तर से सभी थाना प्रभारी को सहयोग प्रदान करने हेतु निदेश दिया जाय, ताकि अवैध खनन एवं परिवहन पर सर्तक निगरानी रखा जा सके।
 6. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, दुमका के क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि साहेबगंज जिलान्तर्गत अद्यतन निर्गत CTE एवं CTO की सूची एवं तंत्रित CTE एवं CTO की सूची जिला खनन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 7. सभी अंचलाधिकारी को भी खनन प्ले का नियमित जांच करने का निदेश दिया गया, ताकि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग सके।
 8. जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रेलवे के माध्यम से भी खनिज का ढुलाई की जा रही है, परन्तु बिना पट्टारी/भंडारणकर्ता के द्वारा खनिज की आपूर्ति कर Indent स्वीकार किया जा रहा



है। इस संदर्भ में उपायुक्त महोदय द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब रेलवे पदाधिकारी से सम्पर्क कर अवैध आपुर्तिकर्ता का Indent स्वीकार नहीं करने हेतु कहा जाय।
धन्यवाद ज्ञापान के साथ टास्क फोर्स की आहूत बैठक को समाप्त की गयी।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक...18.62.../एम0, दिनांक...27/9/18...

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज/अपर समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस उपधीक्षक, साहेबगंज एवं राजमहल/ सहायक निदेशक, भूतत्व, दुमका/वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज/क्षेत्रीय स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्षद, के पदाधिकारी, दुमका/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला खनन पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी, बोरियो, साहेबगंज मंडरो, तालझारी, राजमहल, बरहरवा, पतना, बरहेट एवं उधवा को सूचनार्थ।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक...18.62.../एम0, दिनांक...27/9/18...

प्रतिलिपि : सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झाखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक.../एम0, दिनांक...

प्रतिलिपि : निदेशक, खान, खान एवं भूतत्व विभाग, झाखंड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
साहेबगंज।



जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज
पत्रांक 1126 / एम0, दिनांक 6/10/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,
जिरवाबाड़ी थाना,
साहेबगंज।

विषय :-

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 06.10.20 को प्रातः 6:00 से जिरवाबाड़ी थाना अंतर्गत मदनशाही घाट, चानन घाट, समदा घाट इत्यादि क्षेत्रों में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापाकारी थाना प्रभारी जिरवाबाड़ी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे सांतीचौकी के पास नाव में उत्खनित अवैध पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलोगो को देखते ही भाग खड़े हुए। जिसमें 01 नाव चालक रामप्रकाश मांझी, पिता- स्व0 हलक साह, साकिन अकपुर, थाना- चडिया, बरियारपुर, जिला- बेगुसराय को पकड़ा गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। उक्त स्थल पर खनिज से लदे नाव पाया गया। जिसमें सम्मिलित व्यक्ति निम्न प्रकार है :-

क्र0	संलिप्त व्यक्ति का नाम एवं पता	पत्थर चिप्स खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	रामप्रकाश मांझी, पिता- स्व0 हलक साह, साकिन अकपुर, थाना- चडिया, बरियारपुर, जिला- बेगुसराय	1200 घनफीट	बिना चालान के
2	सिधो मांझी, पिता- नामालुम	सभी साकिन करहरटोला, थाना- कटिहार, जिला- कटिहार (बिहार)	
3	सागर मांझी, पिता- नामालुम		
4	अजय मांझी, पिता- नामालुम		
5	रामू मांझी, पिता- नामालुम		
6	रामवतार मांझी, पिता- नामालुम		
7	गोपाल यादव, पिता- रामवृक्ष यादव, सा0- समदानाला, जिला- साहेबगंज		
8	ढोढी यादव, पिता- नामालुम		
9	मंझी यादव, पिता- नामालुम		

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।



विश्वासभाजन

(Signature)
6/10/2020
(विमोति कुमार)

जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1168 / एम०, दिनांक 15/10/2020

तथा में

थाना प्रभारी,
मुफसील थाना,
साहेबगंज।

विषय -

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 14.10.2020 को रात्रि 10:30 से साहेबगंज मुफसील थाना अवैध उत्खनन के दौरान समदाघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औद्योगिक छापामारी अधोहरस्ताक्षरी थाना प्रभारी मुफसील थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे समदाघाट के पास नाव में उत्खनित अवैध पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलोगो को देखते ही नाव सहित भाग खड़े हुए। नदी किनारे कुछ छिटफुट पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने तीन सम्मिलित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है -

क्र०	संलग्न व्यक्तिक का नाम एवं पता	अभ्युक्ति
1	इरसम यादव, पिता- नामालुम, मु०- समदा, जिला- साहेबगंज।	
2	राज किशोर यादव उर्फ (मंझी यादव) पिता- नामालुम समदा, जिला- साहेबगंज।	
3	आनंदी यादव यादव पिता- नामालुम समदा, जिला- साहेबगंज।	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापित धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 17ए का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21(ए) एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 04 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्रवाई में संलग्न व्यक्ति पत्थर खनिज कोरा एवं विप्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने को कृपया जोर देकर

विश्वासभाजन

15/10/2020

जिला खनन पर्यवेक्षक
साहेबगंज।



जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1169 / एम०, दिनांक 15/10/2020

में,

विषय -

महाराज,

थाना प्रभारी,
मुफसील थाना,
साहेबगंज।
अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के संबंध में।


प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 15.10.2020 को प्रातः 7:30 बजे से साहेबगंज मुफसील थाना अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान गरमघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की ओचक छापाकारी अध्याहस्ताक्षरी थाना प्रभारी मुफसील थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गरमघाट नदी किनारे अवैध उत्खनित पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नदी किनारे कुछ छिटफुट पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। जांच के समय विप्रा से लगे 2 ट्रेक्टर सम्मिलित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है -

क्र०	ट्रेक्टर संख्या / चेचीस / इंजन न०	संलिप्त व्यक्ति का नाम	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	Tractor No A/F Engine no-331008 /SLP2469A Chasis No-124405020516	रोतेश कुमार, पिता- लालु यादव मु०+पो०- बकलमपुर, जिला- भागलपुर	पत्थर 150 घनफीट लगभग	बिना बालान क
2	Tractor No A/F Engine no-Fvaxv 34777553 Chasis No- 1000609411	दीपक यादव पो०- शिवमुनी यादव सा- महादेवगंज थाना- मुफसील जिला- साहेबगंज।	पत्थर 150 घनफीट लगभग	बिना बालान क

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में ट्रेक्टर से अवैध रूप से खनिज लोड का परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त गाडी, चालक, मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।



विश्वासभाजन

 (किशोर कुमार)
 दिनांक 15/10/2020
 जिला खनन पदाधिकारी
 साहेबगंज।

222

अवैध उत्खनन करने हेतु कारवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 अन्तर्गत कारवाई किया जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, नाव/गाड़ी चालक, नाव/गाड़ी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- जप्ती सूची।

Sandeep Sd Sharma
12/11/2020
P.O.
21.11.20

विश्वासभाजन
12/11/2020
(विभूति कुमार)
जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।



जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1238/एम0, दिनांक 12/11/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,
मुफसिल थाना,
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर परिवहन कर्त्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 12.11.2020 को सुबह 05:00 बजे से मुफसिल थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्ताक्षरी थाना प्रभारी, मुफसिल एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौजा शुक्रघाट, (सकरीगली) का किया गया। जांच के क्रम में अवैध पत्थर उत्खनन एवं प्रेषण कार्य में लगे हुए 01 नाव, JCB 01 अवैध खनन स्थल पर पत्थर लोड करते हुए पकड़ा गया। जिससे यह समझा गया कि उनके द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर प्रेषण किया जा रहा था। मौजा शुक्रघाट में निम्न व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है एवं इस कार्य में निम्न नाव/गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है जो निम्न प्रकार है :-

क्र0	वाहन संख्या	संलिप्त व्यक्ति का नाम	अभ्युक्ति
1	नाव (नम्बर अंकित नहीं है)		1000 घनफीट पत्थर लोड
2	JCB, Machine No-1877599 Engine SI No-H82296129 Chassis No- HAR30XSSC01877599	देवेन्द्र यादव, पिता- अज्ञात बच्चू यादव, पिता- अज्ञात अनीस यादव, पिता- अज्ञात सुनील यादव, पिता- अज्ञात मनीष यादव, पिता- अज्ञात मिठुन यादव, पिता- अज्ञात मो0+पोस्ट-सकरीगली थाना- मुफसिल जिला-साहेबगंज।	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of

Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत



✍

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1206 / एम०, दिनांक 31/11/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,
मुफसील थाना,
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 02.11.2020 को रात्रि 9:10 बजे मुफसील थाना अंतर्गत समदाघाट इत्यादि क्षेत्रों का क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्ताक्षरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। समदाघाट में अवैध पत्थर से लदे ट्रकों की जांच की गयी, जांच के क्रम में चालक हमलोगो को देखते ही भाग खड़े हुए। जिससे यह समझा गया कि कि उनके द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर प्रेषण किया जा रहा है। इस कार्य में संलिप्त गाडी निम्न प्रकार है :-


क्र०	ट्रक संख्या / संलिप्त व्यक्ति का नाम	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	BRIIE-9086	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
2	ORI4R-5032	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
3	BRIIG-4373	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
4	BRIIG-9086	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त गाडी, गाडी चालक, गाडी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- जप्ती सूची।

विश्वासभाजन



(विभूति कुमार)
जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।

जिला खनन कार्यालय - साहेबगंज

पत्रांक - 01/कैम्प/एम0 मुफ्फसिल

दिनांक - 30/11/2020

सेवा में

श्रीमान थाना प्रभारी
मुफस्सिल थाना साहेबगंज,

विषय - अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव द्वारा परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना करना है कि आज दिनांक 30/11/2020 को 02.00 बजे से साहेबगंज मुफसील थाना अन्तर्गत गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं नाव से परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्ताक्षरी थाना प्रभारी, मुफसील थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौजा शुक्र घाट (सकरीगली) का किया गया। जाँच के क्रम में अवैध पत्थर उत्खनन एवं प्रेषण कार्य में लगे हुए 02 नाव अवैध भण्डारण स्थल पर पत्थर लोड करते हुए पकड़ा गया। जिससे यह समझा गया कि अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर नाव द्वारा प्रेषण किया जा रहा था। नाव के चालक हमलोगों को देखते हुए भाग खड़े हुए।

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापत्र धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1 "ए" का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21(A) / 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाये। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (prevention of illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाये। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति नाव चालक, मालिक एवं पत्थर खनिज के केता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं गंगा रिवर एक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई

करने की कृपा की जाये।

जल्दी सूची खान-1.



विश्वासभाजन

(Signature)
30/11/2020
(विभूती कुमार)

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज।

प्रो. प्रो. प्रो. प्रो.
30/11/20

जिला खनन क३९३नय, साहेबगंज

पत्रांक 515 एम० दिनांक 5/6/21

सेवा में,

थाना प्रभारी,
जिरवावाड़ी (ओ०पी०)
साहेबगंज।

विषय : अवैध पत्थर उत्खनन एवं परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक 05.06.2021 को 340 बजे अपराहन जिला टास्क फोर्स खनन के सदस्य अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, थाना प्रभारी, जिरवावाड़ी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ जिरवावाड़ी थाना अन्तर्गत कबूतर खोपी घाट, चानन घाट, रामदा घाट, मदनशाही घाट आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में चानन घाट पर लगभग 5500 घनफीट पत्थर बोल्टर पाया गया। किन्ही के द्वारा भंडारित पत्थर का कोई कामजात नहीं दिखाया गया एवं कार्यरत मजदूर हमलोगो देखते ही भाग खड़े हुए। जिससे यह समझा गया कि अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारित करते हुए व्यापार किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र पर किन्ही को कोई भंडारण अनुज्ञप्ति नहीं है। स्थानीय लोगो से पूछताछ के क्रम में निम्न व्यक्तियों का नाम एवं पता बताया गया जो निम्न प्रकार से है :- 1 कालाचन्द्र मंडल, पिता- राधे मंडल, मु०- खुटहरी, 2 सजय साह, पिता- हथिया साह, मु०- चानन, 3 निरंजन दास, पिता- सकुल दास, मु०- चानन, 4 गब्बर अंसारी, पिता- मोकिम अंसारी, मु०- बड़ा मदनशाही, 5 बिरजू अंसारी, पिता- रहीस अंसारी, मु०- मदनशाही, 6 बजीर अंसारी, पिता- तोफीर अंसारी, मु०- बड़ा मदनशाही, 7 मकसूद मिया, पिता- रजो मगशे मिया, मु०- छोटा पांगडो, 8 सुल्तान अंसारी, उर्फ बिज्जू, पिता- तसरुल अंसारी, मु०- बड़ा मदनशाही, 9 रहीस अंसारी, पिता- रव० अब्दुल हसन, मु०- बड़ा मदनशाही, 10 अजामुद्दीन अंसारी, पिता- रव० नईम अंसारी, मु०- बड़ा मदनशाही सभी थाना- जिरवावाड़ी जिला- साहेबगंज द्वारा उपरोक्त गंगा घाटों से अवैध पत्थर का परिवहन कर व्यापार किया जा रहा है।

इस कृत कार्रवाई से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उल्लंघन है उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाय। झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने की कार्रवाई की जाय तथा भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भी कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन/भंडारण/परिवहन कार्यों में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं भा०द०स० के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

05/6/21

NOTARY
RANCEE
REG. No.
AJAB 2200

विश्वासभाजन

5/6/2021

(विभूति कुमार)
जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज
पत्रांक 1126 / एम0, दिनांक 6/10/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,
जिरवावाडी थाना,
साहेबगंज।

विषय :-

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 06.10.20 को प्रातः 6:00 से जिरवावाडी थाना अंतर्गत मदनशाही घाट, चानन घाट, समदा घाट इत्यादि क्षेत्रों में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औद्योगिक छापामारी थाना प्रभारी जिरवावाडी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी किनारे सांतीचौकी के पास नाव में उत्खनित अवैध पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलोगो को देखते ही भाग खड़े हुए। जिसमें 01 नाव चालक रामप्रकाश मांझी, पिता- स्व0 हलक साह, साकिन अकपुर, थाना- चडिया, बरियारपुर, जिला- बेगुसराय को पकडा गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। उक्त स्थल पर खनिज से लदे नाव पाया गया। जिसमें सम्मिलित व्यक्ति निम्न प्रकार है :-

क्र0	संलिप्त व्यक्ति का नाम एवं पता	पत्थर विप्स खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	रामप्रकाश मांझी, पिता- स्व0 हलक साह, साकिन अकपुर, थाना- चडिया, बरियारपुर, जिला- बेगुसराय	1200 घनफीट	बिना चालान के
2	सिधो मांझी, पिता- नामालुम	सभी साकिन करहरटोला, थाना- कटिहार, जिला- कटिहार (बिहार)	
3	सागर मांझी, पिता- नामालुम		
4	अजय मांझी, पिता- नामालुम		
5	रामू मांझी, पिता- नामालुम		
6	रामवतार मांझी, पिता- नामालुम		
7	गोपाल यादव, पिता- रामवृक्ष यादव, सा0- समदानाला, जिला- साहेबगंज		
8	ढोढी यादव, पिता- नामालुम		
9	मंझी यादव, पिता- नामालुम		

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अथवा सुनी कलम 1.

विश्वासभाजन

(दिनेश कुमार)
6/10/2020

जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।



जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1169 / एम्. दिनांक 15/10/2020

विषय -
महाशय.

थाना प्रभारी,
मुफसील थाना,
साहेबगंज।
अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 15.10.2020 को प्रातः 7:30 बजे से साहेबगंज मुफसील थाना अंतर्गत क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान गरमघाट में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की ओरक छापागारी अधीनस्थानीय थाना प्रभारी मुफसील थाना एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गरमघाट नदी किनारे अवैध उत्खनित पत्थर का भंडारण करते हुए परिवहन किया जा रहा था। नदी किनारे कुछ छिटफुट पत्थर पाये गये। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। जांच के समय विपस से लगे 2 ट्रेक्टर सम्मिलित व्यक्तियों का नाम निम्न प्रकार है -

क्र०	ट्रेक्टर संख्या / चेवीस / इंजन न०	संलिप्त व्यक्ति का नाम	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	Tractor No A/F Engine no-331008 /SLP2469A Chasis No- 124405020516	शैलेश कुमार, पिता- लालू यादव, मु०+पो०- बकलमपुर, जिला- भागलपुर	पत्थर 150 घनफीट लगभग	बिना बालान के
2	Tractor No A/F Engine no-F3asv 34777553 Chasis No- 1009609411	दीपक यादव, पिता- शिवमुनी यादव, सा- महादेवगंज, थाना- मुफसील जिला- साहेबगंज।	पत्थर 150 घनफीट लगभग	बिना बालान के

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411, 413, 414 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में ट्रेक्टर से अवैध रूप से खनिज लोड का परिवहन करने के कारण गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अन्तर्गत भी गंगा रिवर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त गाडी, चालक, मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957, गंगा रिवर ऐक्ट एवं सुसंगत अधिनियमों के धारा प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।



विश्वासभाजन
बिभूति कुमार
जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।

22

अवैध उत्खनन करने हेतु कारवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 378 एवं अन्तर्गत कारवाई किया जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, नाव/समनुदान चालक, नाव/गाड़ी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- जप्ती सूची।

Sandeep Sd Sharma
12/11/2020
P.S.
M.P.S

विश्वासभाजन
12/11/2020
(विभूति कुमार)
जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।



जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1238 / एम०, दिनांक 12/11/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,
मुफसिल थाना,
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 12.11.2020 को सुबह 05:00 बजे से मुफसिल थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्ताक्षरी थाना प्रभारी, मुफसिल एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौजा शुक्रघाट, (सकरीगली) का किया गया। जांच के क्रम में अवैध पत्थर उत्खनन एवं प्रेषण कार्य में लगे हुए 01 नाव, JCB 01 अवैध खनन स्थल पर पत्थर लोड करते हुए पकड़ा गया। जिससे यह समझा गया कि उनके द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर प्रेषण किया जा रहा था। मौजा शुक्रघाट में निम्न व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन का कार्य किया जा रहा है एवं इस कार्य में निम्न नाव/गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है जो निम्न प्रकार है :-

क्र०	वाहन संख्या	संलिप्त व्यक्ति का नाम	अभ्युक्ति
1	नाव (नम्बर अंकित नहीं है)		1000 घनफीट पत्थर लोड
2	JCB, Machine No-1877599 Engine SI No-H82296129 Chassis No- HAR30XSSC01877599	देवेन्द्र यादव, पिता- अज्ञात बच्चू यादव, पिता- अज्ञात अनीस यादव, पिता- अज्ञात सुनील यादव, पिता- अज्ञात मनीष यादव, पिता- अज्ञात मिदुन यादव, पिता- अज्ञात मो०+पोस्ट-सकरीगली थाना- मुफसिल जिला-साहेबगंज।	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना नददा या अनुज्ञापित धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत



जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 1206 / एम० दिनांक 31/11/2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,
मुफसील थाना,
साहेबगंज।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 02.11.2020 को रात्रि 9:10 बजे मुफसील थाना अंतर्गत समदाघाट इत्यादि क्षेत्रों का क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापामारी अधोहस्ताक्षरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। समादाघाट में अवैध पत्थर से लदे ट्रकों की जांच की गयी, जाँच के क्रम में चालक हमलोगो को देखते ही भाग खड़े हुए। जिससे यह समझा गया कि कि उनके द्वारा अवैध रूप से पत्थर का उत्खनन कर प्रेषण किया जा रहा है। इस कार्य में संलिप्त गाडी निम्न प्रकार है :-


क्र०	ट्रक संख्या / संलिप्त व्यक्ति का नाम	पत्थर खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	BR11E-9086	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
2	OR14R-5032	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
3	BR11G-4373	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	
4	BR11G-9086	पत्थर 1000 घनफीट लगभग	

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21"ए" एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 411 एवं 175 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त गाडी, गाडी चालक, गाडी मालिक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- जप्ती सूची।



विश्वासभाजन

 (बिभूति कुमार)
 जिला खनन पदाधिकारी
 साहेबगंज।

01/03/19

दिनांक 17.3.2019

सेवा में
धारा प्रभारी
मुख्याधिकारी थाना साहेबगंज ।

विषय: अदोष पार उतवन एवं परिवहनकर्ताओं के विन्दु प्रावधिकारी
रजि करने के संबंध में


महाशय

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक 17.3.2019 को सुबह
6.00 बजे से मुख्याधिकारी थाना अन्तर्गत विभिन्न रंगों पर अदोष उतवन
एवं परिवहन की अदोष कार्यालयी अनुमति पदाधिकारी साहेबगंज थाना
उतवन पदाधिकारी साहेबगंज एवं सहाय पुलिस बल के साथ की गई
मौन के दौरान बागपुर पंचायत के सुकरा बाजार गंगा नदी किनारे
कई पैगाने पर स्टीन चिरस नाव के द्वारा अदोष प्रेषण किया जा रहा था
नाव वालों से पूछना है कि उतवन परिवहन सामान की जांच करने पर
करी दिखना एक कनागा गया कि स्थानीय क्लर संसाधकों के द्वारा अदोष
उतवन-उतव उतवार् एवं परिवहन किया जा रहा है। क्रियाएँ यह उतवार् जमा
कि यह कार्य पूर्णतः अदोष है। इस कार्य में संश्लेष नाव एवं अदोष कर्ता
निम्न है:

नाव नं०	व्यक्ति का नाम	नाव पर लिड
BEK-195	चन्द्रशेखर मल्लिक पि. लालपीकर मल्लिक ग्राम. खुशहालपुर पो. गुलदाबाद था. थारी जि. कटिहार	स्टोन चिरस 600 छनफीर लामा

इस क्रम से सरकारी काजस की मोरी है। उी है एवं राष्ट्रीय संपत्ति का
अवण भी है रहाने। उतवार् विनीय है कि कौडु गी वगैर विनाया का अनुमति
प्राप्त कि उतवार् का उतवन ना परिवहन नही कर सकना है एव ऐसा कला
बदान एवं उतवार् विनाया एव विनिगज 1957 की धारा 4(1) एवं 1 ए का सार
उतवार् है। उतवार् सभु उतवार् समुदान निवभाकली 2004 है निपत्र 04 एवं
54 के अन्तर्गत अदोष उतवन करने हेतु करिबर् की मौमे। साथ ही भारतीय
संहिता की धारा 379: 414 के अन्तर्गत करिबर् किया मौमे।

Received
Date 17/03/19



अतः अदोष उतवन / उतवार् / परिवहन कार्य में संश्लेष व्यक्ति
नाव वालक / नाव प्राधिक, उतवार् कृता एवं विनेता के विन्दु उतवार् सभु
उतवार् समुदान निवभाकली 2004, स्लान एवं उतवार् विनाया एव विनिगज-1957
Gauge Protection Act एवं अन्तर्गत धारा 379: 414 के अन्तर्गत उतवार् उतवार्
इए कानूनी करिबर् करने की कृपा की मौमे।
विदुवागंज नु.

उक्त अधिनियम के धारा 21 एं चं 21 (6) के अन्तर्गत दण्ड
 है एं चं धारा 22 के अन्तर्गत कारिवाय की जायें। आदरवत् मणु बर्न
 नियमवली 2004 के नियम 04 एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्तरन करने
 कारिवाय की जायें। फर्कें गये नाब चापक के द्वारा यह बताया गया कि
 लखनौ की लखनौ सीती चौकी लुटरी (मदनबाड़ी) से फरार अप्रभिकता अर्थात्
 पि. महेश प्रसाद, मेरक अंसारी पि. मो. जमीन अंसारी, रहिषा भागद पि. क. अरदुल हसन
 मुखीद अंसारी पि. नम्राणु : प्रेम चन्द प्रसाद पि. महेश प्रसाद : अ-सभी ग्राम मदनबाड़ी
 या निरवाकापी प्रौ.पी. : अरदुल हसन हाकुर पि. क. (मजली हाकुर अम-क. मिराक
 मोहन चाडक पि. क. रोशनी चाडक साइफांअ जिरोवाकापी सगी जिला साइफांअ
 के निवासी हैं।

अतः उपरोक्त अवैध फरार उत्तरन : अंतरण : परिवहन कार्यों से संबंधित
 ठककर, केता एवं निरवाकापी नाब चापक एवं आपिक के विरुद्ध आदरवत् मणु
 बर्न नियमवली 2004, खान एवं रवमि विकास एवं विनियम
 1957 एवं अखत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी
 कार्रवाई करने की कृपा की जायें।

अधी सूची संख्या: 01.

निरवाकापी
 3/1/2020
 निरवाकापी
 (जिला बर्नन पदाधिकारी)
 साइफांअ



जिला स्तर पर कार्यक्रम, आंदोलन

दिनांक 01 जनवरी

दिनांक: 03.01.2020

सेवा में

शान्ता प्रगारी

मुफ्फसिल शान्ता, आंदोलन

विषय :- फ.श.र उदरभरण कर भाव के द्वारा परिवहनकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।

प्रस्तावना

प्रतिवेदन करना है कि आज दिनांक 03.01.2020 प्रातः 5.00 बजे से मुफ्फसिल शान्ता अन्तर्गत मौजा हरप्रसाद गजमरीका के पास बथर से लड़े नाव की ओंच सज्जत रूप से मुफ्फसिल शान्ता प्रगारी, जिला सनन पदाधिकारी आर.पं.ज. लखनऊ प्रुविल कले के साथ ओंचके कक्षाशाली एवं फ.श.र से लड़े नाव की ओंच की गई । ओंच के क्रम में फ.श.र से लड़े नाव को उतका गया एवं लखनऊ परिवहन यानान को मांग की गई परन्तु नाव-यानक के द्वारा स्वयंज परिवहन यानान नही दिया गया । किये गए सत्रका जग के अर्थ में निम्नलिखित व्यक्ति सम्पन्न हैं जो निम्न प्रकार हैं :-

क्र.सं.	नाव का नम्बर	संलग्न व्यक्ति	रजिस्टर नौड की मांग संख्या	अवधि
1.	1952	वीरव त्रिधातु पि. बीरव आनंद ग्राम पंचानपुर थ. कारिबन मामन्दा (२० बंगाल)	1000 बंगालीर मामन्दा	नौड है
2.	1948	बकि इस्माज पि. चौद बीरव ग्राम - जहाजपुर थ. कारिबन मामन्दा (२० बंगाल)	1800 बंगालीर मामन्दा	नौड है
3.	नम्बर अंकित नही है	बल्लू साहनी 5/0 महेन्द्र साहनी बेहशरस्थान थ. अमरीचक्र मजामपुर (बिहार)	900 बंगालीर मामन्दा	नौड है
	नम्बर अंकित नही है	अरुण साहनी श. त्रिधाम साहनी बेहशरस्थान थ. अमरीचक्र मजामपुर (बिहार)	900 बंगालीर मामन्दा	नौड है
	नम्बर अंकित नही है	रजनी चौधरी ग्राम - जहाजोला, प्रविहारी बिहार (बिहार)	900 बंगालीर मामन्दा	नौड है

जिला
आंच अथवा
03/1/20
मुफ्फसिल शान्ता



उस क्रम से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय राजस्व क्षरण भी हो रहा है। उक्तके निमित्त है कि कोई भी व्यक्ति क्लिप फुग या प्रुविल पारण किये स्वयंज का उदरभरण या परिवहन नही कर सकता है एवं ऐसा करना स्वान एवं स्वयंज विकास एवं निम्निका 1957 की धारा 04(1) एवं 05(1) का स्पष्ट उल्लंघन है ।

पकड़े गये नाव चालकों के द्वारा यह बताया गया कि मौजा सोती चौकी मदनशाही से पत्थर लोड किया गया है एवं आपूर्तिकर्ता मकसुद आलम उम्र 55 वर्ष पिता ना मालुम ग्राम छोटा मस्जिद के पास मदनशाही थाना जिरवाबाडी (साहेबगंज), बिट्टु अंसारी उम्र 40 वर्ष पिता जलिल अंसारी ग्राम मदनशाही जिरवाबाडी साहेबगंज, आजमुद्दीन अंसारी पिता ना मालुम ग्राम पंचायत भवन के पास बडा मदनशाही एवं दो तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पत्थर अवैध उत्खनन कर सोती चौकी खुटहरी (मदनशाही) से व्यापार किया जा रहा है। इनके पास कोई खनन पट्टा या आनुज्ञासि नहीं है।

अतः उपरोक्त अवैध पत्थर उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति नाव के चालक, मालिक, खनिज के क्रेता एवं बिक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानुनी कारवाई करने की कृपा की जाय।

संलग्न :- जसि सूची 01

विश्वाभजान

Signature
04/06/2020
(विभूति कुमार)

जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।



जिला खनन कार्यालय साहेबगंज

पत्रांक- 649/एफ-

सेवा में

दिनांक- 04.06.20

थाना प्रभारी

मुफरिसल थाना, साहेबगंज।

विषय:-

अवैध पत्थर उत्खनन कर नाव के द्वारा परिवहन कार्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

प्रतिवेदित करना है कि आज दिनांक- 04.06.2020 को सुबह 04:00 बजे से मुफरिसल थाना अन्तर्गत मौजा हरप्रसाद गरम टोला के पास पत्थर से लदे नावों की जाँच संयुक्त रूप से पुलिस निरीक्षक नगर प्रभार साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज, थाना प्रभारी मुफरिसल सशस्त्र पुलिस बल के साथ औचक छापामारी एवं पत्थर से लदे नावों की जाँच की गई। जाँच के क्रम में पत्थर से लदे नावों को देखा गया एवं खनिज परिवहन चालान की मांग की गई परंतु नाव चालक के द्वारा खनिज परिवहन चालान नहीं दिखाया गया। जिसे समझा गया कि अवैध उत्खनन कर परिवहन करते हुए व्यापार किया जा रहा है। इस कार्य में निम्नलिखित व्यक्ति संलिप्त हैं जो निम्न प्रकार हैं -

क्र० सं०	नाव का नम्बर	संलिप्त व्यक्ति	पत्थर खनिज लोड की मात्रा	अभियुक्ति
01	नाव में नम्बर अंकित नहीं है।	कुशेश्वर मंडल पिता स्व० लालचन्द मंडल ग्राम तीनडंगा बटेश्वर जिला भागलपुर (बिहार)	1200 घन फीट लगभग	लोड है
02	नाव में नम्बर अंकित नहीं है।	पुरन मंडल पिता कंचन मंडल ग्राम तीनडंगा बटेश्वर जिला भागलपुर (बिहार)	1200 घन फीट लगभग	लोड है
03	नाव में नम्बर अंकित नहीं है।	पंकज मंडल पिता नागेश्वर मंडल ग्राम तीनडंगा बटेश्वर जिला भागलपुर (बिहार)	400 घन फीट लगभग	लोड है

इस कृत से सयकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञाप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1 ए का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21 ए एवं 21(6) के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत कारवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कारवाई की जाय। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, 379, 414 के अन्तर्गत भी कारवाई किया जाय।

received
04/06/2020



[Handwritten Signature]

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 913 / एम०. दिनांक 13/07/2020

थाना प्रभारी,

जिरवावाडी थाना,

साहेबगंज।

अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्य संवध में।

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 13.07.20 को प्रातः 2:00 से जिरवावाडी थाना अंतर्गत मदनशाही घाट, चानन घाट, समदा घाट इत्यादि क्षेत्रों में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की औद्यक जांच में जिला निरीक्षक साहेबगंज, थाना प्रभारी जिरवावाडी, जिला खनन पदाधिकारी एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई जांच में जिरान गंगा नदी किनारे मदनशाही घाट एवं चानन घाट के पास नाव में उत्खनित अवैध पत्थर का भंडारण करने का परिचय किया जा रहा था। नाव चालको ने हमलोगो को देखते ही भाग खडे हुए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा नदी पर पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। उक्त स्थल पर खनिज से लदे गाडी पाया गया, जिसका पत्थर गाडी छोड़कर भाग खडे हुए, जो निम्न प्रकार है :-

क्र०	ट्रक संख्या	पत्थर चिप्स खनिज की मात्रा	अभ्युक्ति
1	JH18G-8823	चिप्स 1000 घनफीट लगभग	विना चालान के
2			

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। अतः उचित है कि कोई भी व्यक्ति विना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Hand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 8 के अंतर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175, 379, 411 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाय। गंगा नदी में नाव लगाकर अवैध रूप से खनिज लोड कर परिवहन करने का कार्य गंगा प्रदूषित हो रहा है। इसके अंतर्गत भी गंगा रियर ऐक्ट के तहत कार्रवाई की जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, पत्थर खनिज क्रेता एवं कार्रवाई के अंतर्गत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।



Forwarded to ole Baris Registered a Case under Section 54 Jharkhand Mines Investigation Rule 2004 All Investigate this case.

विश्वासभाजन (विभागीय) कुमार 13/7/2020 जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज।

13.7.20

जिला रवनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 01 केम्प जिरकावाडी

सेवा में

दिनांक 9.8.2020

थाना प्रभारी
जिरकावाडी थाना, साहेबगंज

विषय: अवैध पत्थर उत्खनन कर भंडारण करते हुए नाव से प्रेषणकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

प्रातिवेदिता करना है कि आज दिनांक 9.8.2020 को प्राय 11:30 बजे से जिरकावाडी थाना अंतर्गत मदनग्राही थाना, हात चौकी सुरहरी इलाके में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एक नाव से परिवहन की अज्ञानता कापाकारी पुलिस निरीक्षक नगर, जिला रवनन पदाधिकारी, साहेबगंज थाना नगर मुख्यालय एवं सहायक पुलिस वरक के साथ की गई। जौंच के दौरान हात चौकी सुरहरी के पास नाव में लड़े स्लैब गिपस देखा गया जौंचदल को डेरते ही परिवहनकर्ता नाव छोड़कर भागा गये। जिससे यह समझा गया कि अवैध पत्थर कर भंडारण करते हुए नाव से गंगा के माध्यम से परिवहन किया जा रहा था। गंगा नदी के किनारे किसी भी व्यक्ति को कोई अनुमति निर्गत नहीं है। यह पूर्णतः अवैध खनन कर भंडारण करने कार्य कर रहे थे। इस कार्य में नाव पामा गया जो निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाव का नम्बर	प्लैट रजिज की माता पत्थर	अवैधुक्ति
1.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	1000 क्वैटफीट मजगा.	प्लैट है।
2.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	1000 क्वैटफीट मजगा	प्लैट है।
3.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	खाली है	परन्तु स्लैब प्लैट है।
4.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	खाली है	खाली पर मजगा था
5.	नाव में नम्बर अंकित नहीं है	खाली है	परन्तु स्लैब प्लैट है।
6.	ड्रैक्टर माइक SWAPN 735FE Engine No- 391254/SRNSJUS85A. Chassis No- WATN30605805260	75 क्वैटफीट मजगा प्लैट	खाली पर मजगा था प्लैट है।

इस कृत कार्यवाई से वास्तविकी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सड़क का इलाका भी हो रहा है। एतद्वारा यह कि कोई व्यक्ति धिया, धा या अनुमति धारण किये रजिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विभाग एवं विनियम 1957 की धारा 04 (1) एवं 1 ए का खाली उल्लंघन एवं अविनियमित के तहत धारा 21 एवं 21 (e) के अंतर्गत दण्ड प्राधिकारित है। 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand Mineral (Prevention of illegal Transportation and storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के साथ ही भारतीय दण्ड धारा 175: 414: 329 के तहत भी कार्रवाई।



अतः उपरोक्त अवैध पत्थर उत्खनन भंडारण, परिवहन कार्य में नाव ड्रैक्टर चालक, प्राधिकृत रजिज केना एवं विनियम के विनियम 2004 के तहत भारतीय दण्ड धारा 175: 414: 329 के तहत भी कार्रवाई।

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक- 964/एम०

दिनांक - 21-8-2020

सेवा में,

थाना प्रभारी,

राजमहल थाना।

विषय :- अवैध पत्थर उत्खनन कर -परिवहन कर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।
महाशय,

प्रतिवेदित करना है की दिनांक 21.08.2020 को समय 11.00 बजे से राजमहल थाना अंतर्गत अवैध पत्थर का उत्खनन एवं परिवहन की औचक छापाकारी जिला खनन पदाधिकारी साहेबगंज, थाना प्रभारी, राजमहल एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गुदराघाट राजमहल के पास खनिज से लदे वाहनो की जांच की गयी। जांच के दौरान ट्रक चालको से खनिज परिवहन चालान की मांग की गयी परन्तु चालक गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए जिससे यह समझा गया की अवैध उत्खनन कर व्यापार करते हुए परिवहन किया जा रहा है। इस कार्य में निम्न ट्रकों पाये गये जो निम्न प्रकार है:—

क्र०सं०	ट्रक संख्या	पत्थर खनिज लोड की मात्रा	अभियुक्ति
1	WB73D2184	1000 घनफीट लगभग लोड है।	चालान नहीं दिखाया गया।
2	JH10Q8483	1000 घनफीट लगभग लोड है।	चालान नहीं दिखाया गया।

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पति का क्षरण भी हो रहा है उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 04 की धारा 1957(1) एवं 1“ए” का स्पष्ट उलंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21“1” एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अन्तर्गत की कार्रवाई किया जाय। झारखण्ड लघु खनिज समानुदास नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 के तहत कार्रवाई किया जाय साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379,414 के तहत की कार्रवाई किया जाय।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन कार्यों में संलिप्त ट्रक चालकों/मालिक/ खनिज के विक्रेता एवं क्रेता विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज सममुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कानुनी कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज किया जाय।

संलग्न: जप्ती सूची। -



विश्वासभाजन
21/08/20
(बिभूति कुमार)
जिला खनन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI**W.P.(PIL) No.2026 of 2021**

Anurag Kumar Rai and Anr. ... Petitioners
Versus

State of Jharkhand and Ors. ... Respondents

WITH**W.P.(PIL) No.290 of 2013**

Hemant Kumar Shikarwar ... Petitioner
Versus

The State of Jharkhand and Ors. ... Respondents

WITH**W.P.(PIL) No.1806 of 2015**

Court on its own motion

Versus

The State of Jharkhand and Ors. ... Respondents

WITH**W.P.(PIL) No.3771 of 2017**

Pankaj Sahu ... Petitioner

Versus

The State of Jharkhand and Ors. ... Respondents

WITH**W.P.(PIL) No.6195 of 2017**

Ram Keshwar Mahto ... Petitioner

Versus

The State of Jharkhand and Ors. ... Respondents

WITH**W.P.(PIL) No.115 of 2019**

Mohammad Khalik Ansari ... Petitioner

Versus

Union of India and Ors. ... Respondents

**CORAM : HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE SUJIT NARAYAN PRASAD**

For the Petitioner : Mr. Vipul Divya, Advocate
[W.P.(PIL) No.2026 of 2021]

Mr. Indrajit Sinha, Amicus Curiae
[W.P.(PIL) No.1806 of 2015]

Mr. Ram Subhag Singh, Advocate
[W.P.(PIL) No.6195 of 2017]

Mr. Mohammad Asghar, Advocate
[W.P.(PIL) No.115 of 2019]

For the Respondents : Mr. Rajiv Ranjan, Advocate General
Mr. Parth S.A. Swaroop Pati, Advocate




ORAL ORDER

03/Dated 17th December, 2021

1. The matter has been heard through video conferencing with the consent of the learned counsel for the parties. They have no complaint about any audio and visual quality.
2. Reference may be made to the order dated 20.11.2021. In pursuance thereto, other analogous cases have been listed together.
3. No affidavit has been filed in the W.P.(PIL) No.2026 of 2021.
4. Mr. Indrajit Sinha, Amicus Curiae in W.P.(PIL) No.1806 of 2015 has submitted that counter affidavit has been filed but the same is not on record.
5. Learned Advocate General has submitted that an additional affidavit will be filed. He further submits that separate affidavit will also be filed in W.P.(PIL) No.2026 of 2021 as also the district wise data survey report will also be filed by way of an affidavit on or before the next date of hearing.
6. Let all these matters be listed on 21.01.2022.

(Dr. Ravi Ranjan, C.J.)

(Sujit Narayan Prasad, J.)



IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI

W.P. (PIL) No. 1806 of 2015

Court on its own motion

Versus

The State of Jharkhand & others

With

W.P. (PIL) No. 115 of 2019

Mohammad Khalik Ansari	---	---	Petitioner
	Versus		
Union of India through the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Water & others	---	---	Respondents

With

W.P. (PIL) No. 290 of 2013

Hemant Kumar Shikarwar	---	---	Petitioner
	Versus		
The State of Jharkhand & others	---	---	Respondents

With

W.P. (PIL) No. 3771 of 2017

Pankaj Sahu	---	---	Petitioner
	Versus		
The State of Jharkhand & others	---	---	Respondents

With

W.P. (PIL) No. 6195 of 2017

Ram Keshwar Mahto	---	---	Petitioner
	Versus		
The State of Jharkhand & others	---	---	Respondents

Coram: **Hon'ble the Acting Chief Justice**
Hon'ble Mr. Justice Aparesk Kumar Singh

Amicus Curaie: Mr. Indrajit Sinha, Advocate
For the Petitioners: M/s Rajeev Kumar, Mohammad Asghar, K.S. Nanda, Ram
Subhag Singh, Mokhtar Ahmed, Advocates
For the Resp-State: Mr. Manoj Tondon, A.A.G
For the Resp-UoI: M/s Rajiv Sinha, ASGI, Niraj Kumar, A.C to ASGI
For the JSPCB: M/s Richa Sanchita, Bhanu Kumar, Prabhash Kumar, Advocates


48/06.09.2019 This Public Interest Litigation was instituted suo-motu, based on a newspaper report, to protect disappearance of Hills in the State under threat of illegal mining,. It came to light during proceedings of the case that a Task Force have been constituted by the State in 2005 to address the issue, but there were crushers and mines which were operating without obtaining no objection certificate from the Pollution Control Board or despite expiry of NOC. Directions were issued to close all such mining operations carried out without valid lease / consent to operate. Vide order dated 18.05.2015, State Government and the Pollution Control Board were directed to produce a complete list of such lessees with details, the action taken in compliance of



the directions issued in the case of '**Deepak Kumar Vs. State of Haryana**' [(2012) 4 SCC 629]. By order dated 29.06.2015, it was clarified that only such mining operations which were being carried without lease / CTO were to be closed. During further proceedings, it came to light that State has devised ten point action plan for implementation by the District authorities. Provisions of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 which provide for appropriate legal action in cases of illegal mining were also highlighted by the Amicus Curiae. Reports were directed to be filed by the State containing the action taken against the person indulging in illegal mining.

2. Later, during course of the proceedings of this PIL, certain fundamental issues cropped up, as is evident from the order dated 31.07.2017. State was asked to explain whether a minor mineral policy is in place for exploitation of minor mineral keeping into account the well settled principles of sustainable development; inter-generational equity; precautionary principles and polluters-pay's principles; whether scientific evaluation of reserve potential of known deposits have been undertaken; such other incidental issues; whether State has a regulatory mechanism in place to assess the adverse environmental impact of mining of minor minerals *per se*; whether salutary principles, noted above, are kept into account while granting concessions. This Court was informed on 13.09.2017 that a comprehensive minor mineral policy is being prepared which may take three months' times. It was also brought to the Court's notice that a Committee headed by the Deputy Commissioner cum Chairman, DEIAA has been directed to undertake a detailed survey of minor minerals in their respective districts. It was informed that the District Survey Report (DSR) is intended to make a demand supply analysis, identification of mineable reserve in a sustainable manner as it has demarcated "No Mining Zones" in the respective districts taking into consideration various natural resources, bio-diversity, lives and habitats, important significant geographical and infrastructural facilities, so that in view of socio-cultural protection and environmentally sustainable mining, no mining of minor minerals is carried out in "No Mining Zone". [See: **Order dated 13.09.2018**].

3. A careful perusal of the orders dated 01.11.2017, 06.12.2017 and 18.12.2017 indicate the steps being taken for constitution of District Level Expert Appraisal Committee under the Notification of DEIAA and DEAC in terms of MoEF&CC Notification dated 15.01.2016 read with Notification dated 20.01.2016 issued under the provisions of section 3(3) of Environment (Protection) Act, 1986 and Environment Impact Assessment Notification No. 1533 dated 14.09.2006. In one such order, it came to light that Appendix-X of Notification dated 16.01.2016 did not appear to lay




down enough guidelines in the matter of preparation of DSR of minor minerals other than sand. Respondent State and Union of India both were asked to apprise the Court on

- (a) Need of laying down uniform guidelines for preparation of DSR of minor minerals other than sand, in the light of the Notification dated 16.01.2016.
- (b) Time period within which such guidelines would be finalized and notified by MoEF&CC, Government of India.

Apart from the above, Respondent State Department was also asked to lay down an outer time limit for preparation of DSR, both of sand and other minerals. Proceedings of the PIL and the orders passed thereafter such as orders dated 20.02.2018, 15.03.2018, 11.04.2018 and 25.04.2018 in particular indicate that preparation of DSR of sand in the respective districts of the State were being undertaken, but the need for laying down the guidelines for preparation of DSR of minor minerals other than sand in the light of the Notification dated 16.01.2016 had not been addressed by the Respondent Union of India.

4. The importance of the role of the State Pollution Control Board for ensuring that the terms and conditions of grant of Consent to Operate to the lessee are duly complied with and violation, if any, promptly checked were also stressed. State Pollution Control Board was asked to respond to it. Instances of illegal mining had not abated, rather shown increasing trend. The Court was informed on 20.02.2018 that for strict monitoring of the performance of the District Task Force, the whole process of regulation and prohibition of illegal mining is being made more technology based. The preparation towards that were in full swing and would be made operational by June of that year. The coordinates of mining leases were also to be fed in G.P.S system and linked with the satellites. Even the vehicle used for transportation for minor minerals were to be registered under the Jharkhand integrated Mines and Mineral Management System and those vehicles have to be equipped with G.P.S devise. Learned Amicus Curiae had also pointed out that mere imposition of penalty does not absolve the person concerned of the liability of criminal prosecution, confiscation of seized vehicle in terms of MMDR Act and Environment Protection Act and other ancillary legislation / rules. The seized minerals were also to be auctioned in a fair and transparent manner to fetch revenue, so that the damage to the environment is undone.


5. Taking note of the understaffing in the State Pollution Control Board and other endemic issues faced by it, vide order dated 15.05.2018, a number of directions were issued upon the Board and the State Government for finalization of the rules for



recruitment and other service conditions of the employee of the Board within a time frame and creation of laboratories for carrying out its statutory duties.

6. The directions passed by this Court from time to time thereafter ultimately led to issuance of amendment Notification in official Gazette S.O. 3611(E) dated 25.07.2018 for preparation of DSR for minor minerals other than Sand and Bajri. The legislative vacuum in the area of preparation of DSR of minor minerals other than Sand and Bajri had been overcome by issuance of the Notification dated 25.07.2018 by MoEF&CC, Government of India. Meanwhile, the process of preparation of DSR such as Sand and Bajri had progressed up to a considerable extent, as taken note of in various orders including order dated 16.08.2018. The State Government was impressed to embark upon the preparation of DSR of minor minerals other than Sand and Bajri. The same day, State Pollution Control Board informed the Court that the draft of "Recruitment and Conditions of Service of the employees of Jharkhand State Pollution Control Board, Regulation 2018" approved by the Board, have been submitted to the Department of Forest, Environment and Climate Change, Government of Jharkhand for its approval. The affidavit also refers to the steps being taken to strengthen the Regional laboratories in the district of Dumka, Ranchi etc., to monitor and analyze the Air & Water pollutants at specified points with financial support from the Namami Gange Programme. Board had also started the recruitment process of the laboratory personnel towards strengthening these laboratories. Learned Amicus Curiae had submitted suggestions / concept note in order to have more effective control on illegal mining.

7. The State was granted time on a number of dates thereafter to file a comprehensive affidavit disclosing the steps being taken for illegal mining in various districts of the State including forest land and other areas. It appears from one of the order dated 10.05.2019, that the State took further time to file counter affidavit as per direction dated 14.09.2018. When the matter has been taken up today, learned counsel for the State Manoj Tondon has submitted that a counter affidavit has been filed on 13.05.2019, sworn by the Assistant Mining Officer (Headquarter), in compliance of the order passed by this Court on 14.09.2018. The affidavit indicates that the department has been taking all possible action / steps to stop incidence of illegal mining and transportation. State Government has taken new initiatives and use of technology for curbing illegal mining of both minor and major minerals such as, formulation of rules / policies, formation of State / District Task Force, use of technology, mines surveillance system of major and minor minerals; GPS based vehicle tracking system for mineral carrying vehicles, Khan Prahari for coal,




Jharkhand Integrated Mines and Minerals Management System (JIMMS), Online Auction etc. Jharkhand Mineral (Prevention of illegal mining, Transportation and Storage) Rule 2017 has been notified on 27.01.2018. As per the State this will facilitate the implementation of more efficient process and technology to curb illegal mining in the State. Jharkhand Minor Mineral Concession Rules, 2014 has been amended in 2017 incorporating more stringent provisions against illegal mining. The affidavit indicates that State Government has prepared draft Jharkhand State Mineral Policy which is under the process of approval (Annexure-A). Technology enablement for transparent and penal provisions for prevention of illegal mining and transportation and storage of mining minerals have been specifically highlighted. The affidavit also refers to the constitution of the State Level Task Force with Secretary, Mines and Geology as Chairman and Director, Mines as Member Secretary along with officials from Police and other concerned departments as Members. (Minutes of the meeting dated 06.03.2019) (Annexure-C). It also refers to the District Level Task Force constituted with Deputy Commissioner of respective Districts as Chairman and District Mining Officer as Member Secretary along with S.P., D.F.O and other officials from the concerned Department (Minutes of the last meeting of District Level Task Force, Annexure-D). Summary of action taken by the Deputy Director of Mines and Geology against illegal mining, transportation and storage for the last six years have been furnished in the form of a chart (Annexure-E).

8. During course of deliberations today, focused areas of the instant Public Interest Litigation have been re-emphasized seeking comprehensive response from the Respondent State and State Pollution Control Board. They can be broadly categorized as under:

- (i) Prevention of illegal mining and steps taken by the State towards that; whether it has led to an effective control and decrease in illegal mining; whether course creation are further required;
- (ii) Formulation of minor mineral policy of the State of Jharkhand;
- (iii) Preparation of District Survey Reports:
 - (a) Sand and Bajri
 - (b) Minor Minerals other than Sand and Bajri
- (iv) Strengthening of the State Pollution Control Board and compliance of the direction contained in order dated 15.05.2018.

9. The affidavit dated 13.05.2019 of the State does not address the issues relating to preparation of District Survey Reports – both of sand and other minor minerals. Whereas, preparation of DSR for sand in the respective districts have made



considerable progress. Vide order dated 16th August 2018, State was specifically directed to embark upon an exercise to prepare DSR for other minor minerals after issuance of the Notification S.O. 3611 (E) dated 25.07.2018 of MoEF&CC, Government of India.

10. The State Government had categorically stated that a comprehensive minor mineral policy is being prepared which may take three months' time as taken note of in order dated 13.09.2017. The latest affidavit dated 13.05.2019 of the State however conveys that draft minor mineral policy is still awaiting approval. Learned counsel Mrs. Richa Sanchita has informed that the draft rules for recruitment and other service conditions have been submitted before the State Government in August 2018 itself.

11. Learned counsel for the State Mr. Manoj Tondon has prayed for sufficient time to file a comprehensive counter affidavit to address the major focus areas referred to above including the steps being taken for affective check of illegal mining in the State.

12. Mr. Bhanu Kumar, learned counsel representing the State Pollution Control Board has also sought time to file a comprehensive affidavit regarding the steps taken by the Board for effective check on illegal mining and implementation of the directions contained in order 15.05.2018.

13. We are inclined to accede to the request of the State and the Pollution Control Board for a larger time for bringing on record the progress report in this regard as the issues involved are seminal in nature concerning environmentally sustainable mining of minor minerals in the State.


14. Accordingly, eight weeks' time is granted. Let the matter be listed immediately thereafter.

15. The affidavit containing the latest update of all these issues should be on record on or before expiry of eight weeks' time from today.

16. Let a copy of the order be handed over to the learned Additional Advocate General Mr. Manoj Tondon and learned counsel for the State Pollution Control Board Mr. Bhanu Kumar.

(H.C. Mishra, A.C.J)

(Aparesh Kumar Singh, J)



IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
W.P.(PIL) No. 115 of 2019

—

Mohammad Khalik Ansari	Petitioner
	Versus		
Union of India & Others	Respondents

—

CORAM : HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE H.C. MISHRA

—

For the Petitioner	: Mr. Mohammad Asghar, Advocate
For the Respondent State	: Mr. Vikash Kumar, A.C. to A.G.
For the JSPCB	: Mrs. Richa Sanchita, Advocate

Order No. 05 : Dated 10th May, 2019
Aniruddha Bose, C.J.

Let this matter be listed as tagged to W.P.(PIL) No. 1806 of 2015.

(Aniruddha Bose, C.J.)

(H.C.Mishra, J.)

Birendra/



IN THE HIGH COURT OF JHARKHAND AT RANCHI
W.P.(PIL) No. 115 of 2019

—

Mohammad Khalik Ansari	Petitioner
	Versus		
Union of India & Others	Respondents

—

CORAM : HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE B.B.MANGALMURTI

—

For the Petitioner	: Mr. Mohammad Asghar, Advocate
For the Respondents	: Mrs. Richa Sanchita, G.A.-V.

Order No. 04 : Dated 12th April, 2019
Aniruddha Bose, C.J.

Let this matter be listed on 10th May, 2019 to enable learned counsel for the State to obtain necessary instruction.

There shall be an interim order restraining the respondent authorities from permitting any mining in the hills of Raj Mahal without proper license.

The Deputy Commissioner, Sahebganj shall ensure this interim order is implemented and file a report before this Court by 6th May, 2019 in that regard.

(Aniruddha Bose, C.J.)

(B.B.Mangalmurti, J.)

Birendra/Rohit



झारखंड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

राँची, दिनांक :-

संकल्प सं०/एम०

संकल्प

झारखंड राज्य में अवैध खनन पर रोकथाम की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प सं० 563/एम० सी० दिनांक 05.10.2005 द्वारा जिला स्तर पर अवैध खनन के गतिविधियों की नियमित समीक्षा, अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स/उडन दरता के कार्यक्षेत्र में विस्तार करते हुए खनिज अन्वेषण के क्रम में ग्रामिणों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधान के निराकरण को भी सम्मिलित किया जाता है।

2. खनिज अन्वेषण में उत्पन्न किये जाने वाले व्यवधानों को टास्क फोर्स के समक्ष रखने हेतु संकल्प सं० 563/एम० सी० दिनांक 05.10.2005 के कड़िका - 2 जिससे जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित किया गया है में प्रमंडलीय स्तर के उप निदेशक भूतत्व एवं जिला स्तर के सहायक निदेशक, भूतत्व को सदस्य के रूप में रखा जाता है। अब जिला स्तर के टास्क फोर्स के सदस्य निम्न प्रकार होंगे :-

जिला स्तर पर टास्क फोर्स

1. उपायुक्त	- अध्यक्ष
2. आरक्षी अधीक्षक	- सदस्य
3. अपर समाहर्ता, राजस्व	- सदस्य
4. जिला खनन पदाधिकारी	- सदस्य सचिव
5. उप निदेशक, भूतत्व	- सदस्य
6. सहायक निदेशक, भूतत्व	- सदस्य
7. वन प्रमंडल पदाधिकारी	- सदस्य
8. जिला स्तर पर राज्य नियंत्रण प्रदूषण पर्वट के पदाधिकारी	- सदस्य
9. जिला परिवहन पदाधिकारी	- सदस्य

एतदसंबंधी पूर्व में निर्धारित शर्त एवं कर्तव्य यथावत रहेंगे।

यह आदेश सद्य प्रभाव से लागू होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

H0/-

(सतेन्द्र सिंह)

सरकार के सचिव

राँची, दिनांक:-


/एम०

जामा सं० -
परिवहन विभाग
निदेशक, आई०बी०एम०/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वट, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

सचिव परिवहन विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/आरक्षी महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक, आई०बी०एम०/राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वट, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

H0/-

सरकार के सचिव



जापांक :- 1188 / एम०

राँची, दिनांक - 31.8.13

प्रतिलिपि:- सभी उपायुक्त/आरक्षी अधीक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

J
अ. 12/13
सरकार के सचिव



झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

विषय:- प्रदूषण की रोक-थाम तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न अधिनियम/नियमावली को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के उद्देश्य से जिला स्तर पर "जिला पर्यावरण समिति" के पुनर्गठन के संबंध में।

पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम के कार्यों को और प्रभावी ढंग से करने के उद्देश्य से, वन एवं पर्यावरण विभाग के पत्रांक-पर्या0प्रदू0-37/2006-2334 दिनांक-10.05.2007 द्वारा गठित जिला स्तरीय पर्यावरण समिति को निम्नवत् पुनर्गठित किया जाता है :-

1.	उपायुक्त	-	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	-	सदस्य
3.	वरीयतम प्रादेशिक वन प्रमण्डल पदाधिकारी	-	सदस्य-सचिव
4.	उप विकास आयुक्त	-	सदस्य
5.	असैनिक शल्य चिकित्सक	-	सदस्य
6.	कार्यपालक अभियन्ता, लोक, स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	-	सदस्य
7.	जिला खनन पदाधिकारी	-	सदस्य
8.	जिला परिवहन पदाधिकारी	-	सदस्य
9.	मुख्य कारखाना निरीक्षक के प्रतिनिधि	-	सदस्य
10.	क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद	-	सदस्य
11.	नगर आयुक्त/नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी	-	सदस्य
12.	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	-	सदस्य
13.	कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद	-	सदस्य
14.	कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग	-	सदस्य
15.	02 (दो) पर्यावरण विशेषज्ञ जिनका मनोनयन प्रमण्डलीय आयुक्त/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा किया जाएगा।	-	सदस्य

समिति प्रतिमाह कम-से-कम एक बैठक करेगी तथा अपना प्रतिवेदन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध करायेगी।

जिला पर्यावरण समिति के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

1. जिला अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहे विभिन्न प्राधिकारों के बीच समन्वय।



Environment Protection Act, Air and Water Act तथा इनके अन्तर्गत बनाये गए सभी Waste Management Rules के अनुपालन की दिशा में कार्रवाई करना तथा अनुपालन का कार्य कर रहे विभिन्न प्राधिकारों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनके कार्यों का अनुश्रवण करना।

3. District Environment Plan तैयार करना, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना एवं इस हेतु विभिन्न विभागों/संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से -

ह0/-

(ए0 के0 रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3/पर्या0प्रदू0-37/2006-

दिनांक-

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरंडा, रांची को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी एक सौ (100) मुद्रित प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।


ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3/पर्या0प्रदू0-37/2006- 4869

दिनांक-26/12/2019

प्रतिलिपि- महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रांची/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी उपायुक्त/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी प्रादेशिक वन प्रमण्डल पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी असैनिक शल्य चिकित्सक, झारखण्ड/सभी जिला खनन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, झारखण्ड/सभी नगर आयुक्त/ नगरपालिका के कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड/सभी कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियन्ता, लोक, स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, झारखण्ड/सभी कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,

क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, दुमका - 814101

Ph: 06434-230203 Web Site: www.jspcb.org

पत्रांक :- 1030

दिनांक :- 11/07/2022

प्रेषक:

कमलाकान्त पाठक,
क्षेत्रीय पदाधिकारी।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्,
रांची।

विषय :

गंगा नदी के किनारे अवस्थित पत्थर भण्डारकर्ताओं को निर्गत स्थापना सहमति एवं संचालन सहमति का अद्यतन स्थिति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि दिनांक 21.10.2019 को आहूत जिला टास्क फोर्स (खनन) के बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गंगा किनारे निर्गत डीलर अनुज्ञप्ति जिनकी संख्या 17 थी। जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज पत्रांक 1472/एम दिनांक 31.10.2019 द्वारा डीलर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई थी।

विदित हो कि पर्षद् क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, दुमका द्वारा सर्वप्रथम 09 भंडारकर्ताओं को स्थापना सहमति/संचालन सहमति निर्गत की गई थी (सूची संलग्न)। पुनः 09 भंडारकर्ताओं में से 06 भंडारकर्ताओं द्वारा संचालन सहमति नवीकरण हेतु आवेदन पर्षद् में समर्पित किया गया था जिनका आवेदन पर्षद् द्वारा रद्द कर दिया गया। (सूची संलग्न)

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा डीलर अनुज्ञप्ति दी गई है जिसमें दो हिंदुस्तान स्टोन वर्क्स, दो झारखण्ड मिनरल्स, दो मिनहाज स्टोन वर्क्स एवं दो कोहितुर स्टोन वर्क्स इकाइयों को दर्शाया गया है जबकि पर्षद् में केवल एक-एक संयुक्त रूप से स्थापना सहमति/संचालन सहमति प्राप्त की गई थी।

उपर्युक्त दोनों इकाइयों में डीलर कोड अलग-अलग होने से कोड के अनुसार दो इकाई होने का संबोधन होना प्रतीत होता है। इस संदर्भ में दिनांक 11.07.2022 को दूरभाष पर जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज से संपर्क स्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि दो में से एक-एक इकाई का नाम दो बार लिख दी गई है जिनमें से एक का हटाकर गिनती की जाए। इसके आधार पर 17

-4 = 13 इकाइयां ही है। जिसमें से प्रथम बार 09 इकाइयों को स्थापना सहमति/संचालन सहमति निर्गत की गई थी। सर्वश्री बजरंगबली स्टोन वर्क्स, विकास स्टोन वर्क्स, रामप्रीत स्टोन वर्क्स एवं विश्वनाथ स्टोन वर्क्स द्वारा कभी भी स्थापना सहमति/संचालन सहमति के लिए आवेदन नहीं समर्पित किया गया था।

उक्त तथ्यों के आधार पर 09 इकाइयों को प्रथम बार स्थापना सहमति/संचालन सहमति निर्गत की गई थी एवं 04 भंडारकर्ताओं का सूची में दो बार नाम था एवं 04 द्वारा आवेदन ही नहीं किया गया था।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथो०।

विश्वासभाजन,


11/07/2022
(कमलाकान्त पाठक)
क्षेत्रीय पदाधिकारी।



Rejected unit list

1. M/s Izma Stone Works
2. M/s Prem Chand Mandal
3. Fiza Stone Works
4. Minhaz Stone Works
5. Rishikesh Auto Mobiles
6. Khushi Stone Works

Asad





झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,

क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, दुमका - 814101

Ph: 06434-230203 Web Site: www.jspcb.org

पत्रांक :- 1078

दिनांक :- 16/7/2022

प्रेषक:

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
राँची।

विषय :-

गंगा नदी के किनारे अवस्थित पत्थर भंडारणकर्ताओं को निर्गत अनुज्ञप्ति की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचीत करना है कि जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनु० :- यथो०।

विश्वासभाजन,

[Handwritten Signature]
16/07/2022

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।



जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

संशोधित

पत्रांक 617/एम0, दिनांक 15/07/2022

प्रेषक,

जिला खनन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

सेवा में,


क्षेत्रीय पदाधिकारी,
झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
दुमका।विषय : गंगा नदी के किनारे अवस्थित पत्थर भंडारणकक्षाओं को निर्गत अनुज्ञप्ति का
अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 1036 दिनांक 12.07.2022

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सदर्थ में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर संशोधित करते हुए कहना है कि 1) सर्वश्री बजरंगबली स्टोन वर्क्स, पता-समदानाला, पो0- सकरीगली, जिला- साहेबगंज, जो कि सकारीगली घाट यथा रेलवे साईडिंग के नाम से धारित है। 2) सर्वश्री विकास स्टोन वर्क्स, पता- सौतीचौकी खुटहरी, जिला- साहेबगंज, जिसकी अवधि 31.06.16 से 30.06.18, 3) सर्वश्री रामप्रीत स्टोन वर्क्स पता- सौतीचौकी खुटहरी, जिला- साहेबगंज, जिसकी अवधि 31.06.16 से 30.06.18 एवं 4) सर्वश्री विश्वनाथ स्टोन वर्क्स, पता- समदानाला, जिला- साहेबगंज जिसकी अवधि 31.06.16 से 30.06.18 तक के लिए विधिमान्य था, जिसे भंडारण अनुज्ञप्ति के शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर तीनों अनुज्ञप्ति को कार्यालय स्तर से रद्द कर दिया गया है। वर्तमान में उपरोक्त चारो ईकाईयों बंद है।

विश्वासभाजन


जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।




झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,

क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला, दुमका - 814101
Ph: 06434-230203 Web Site: www.jspcb.org

दिनांक - 16/7/2022

पत्रांक :- 1079

प्रेषक:

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।

सेवा में,

सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,
राँची।

विषय :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण कोलकाता में मो० खलीक अंसारी आवेदक बनाम्, MoEF & CC & Ors. O.A. no. 22/2021 EZ के आलोक में अद्यतन स्थिति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत गंगा नदी के किनारे विभिन्न घाटों यथा रामपुर, मदनशाही, समदा शुक्रघाट, चानन एवं गरमाघाट से बोल्टर के परिवहन हेतु निदेशक एन० एन० टी० डेवलपर्स प्रा० लि०, पटना द्वारा कटिहार (बिहार) जिलान्तर्गत बाढ़ सुक्षात्मक कार्य के लिए अनुरोध किया गया था जिसके आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, मनहारी द्वारा नाव/बोट से पत्थर ढुलाई की अनुमति प्रदान की गई थी जिसकी अवधि दिनांक 23.04.2022 को समाप्त हो चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)

वर्तमान में उक्त एंजेंसी द्वारा बोल्टर की ढुलाई का कार्य बन्द है। जिला खनन टास्क फोर्स, साहेबगंज द्वारा मदनशाही, समदानाला, चानन इत्यादि घाटों से यदा-कदा स्टोन बोल्टर/स्टोन चिप्स की अवैध तरीके से परिवहन करते पाए जाने पर उस माल को जब्त कर परिवहनकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है। (छायाप्रति संलग्न)

अनु० :- यथो०।

विश्वासभाजन,

16/7/2022

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।





साहेबगंज समाहरणालय
(जिला राजस्व शाखा)

--: संशोधित आदेश :-

डायरेक्टर, एन0एन0टी0 डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड, पटना का पत्रांक-710, दिनांक-28.01.2021, द्वारा कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी प्रखण्ड में गंगा नदी के बॉए तट का कटाव तीव्रगति से होने के कारण बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु योजना स्वीकृत के कारण साहेबगंज जिलान्तर्गत विभिन्न घाटों यथा-रामपुर, मदनशाही, समदा शुक्रघाट घानन एवं गरमघाट से बोल्टर की दुलाई नाव/वोट से किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी का आदेश ज्ञापांक-31, दिनांक-11.01.2021, ज्ञापांक-24, दिनांक-08.01.2021, ज्ञापांक-387 / दिनांक-04.05.2020, ज्ञापांक-377 / दिनांक-27.04.2020 एवं ज्ञापांक-370 / दिनांक-15.04.2020 द्वारा मेसर्स एन0एन0टी0 डेवलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड को दुलाई की अनुमति हेतु नाव/वोट की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, काढागोला, कटिहार द्वारा Liability Period 23.04.2022 तक उपरोक्त एजेन्सी को प्रदान की गयी है।

जिला टॉस्क फोर्स (खनन) की दिनांक-10.02.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिका-6 में लिए गये निर्णय तथा अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार (बिहार) से प्राप्त नाव/वोट की सूचीनुरूप स्वीकृति के अनुपालन में सिर्फ साहेबगंज मनिहारी अन्तर्राज्यीय फेरीघाट के परिचालन की अवस्थिति, समदाघाट से नाव/वोट के परिचालन हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-


1. स्वीकृत नाव/वोट का परिचालन किए जाने के पूर्व नाव/वोट का दुरस्ती प्रमाण-पत्र अघोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।
2. बड़ी/मध्यम या छोटी नावों का परिचालन हेतु नियमानुसार चालक की अनुज्ञापति की जाँच करेंगे कि नावों का परिचालन हेतु अपेक्षित अनुज्ञापति निर्गत है या नहीं।
3. नाव/वोट के माध्यम से पत्थर प्रेषण की कार्रवाई सिर्फ समदाघाट से सी0सी0टी0वी0 (CCTV) के निगरानी में वैद्य चलानों के साथ करेंगे, अन्य स्थान से पत्थर प्रेषण पाये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
4. बोल्टर आपूर्ति हेतु नावों से पत्थर लोड हेतु नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी पर डम्पिंग की कार्रवाई करेंगे।
5. परिचालित किए जा रहे नावों की संख्या एवं भारित क्षमता के अनुसार लोड की जा रही बोल्टर की मात्रा का विधिवत खनिज समनुदान नियमावली के नियम के अनुसार चालान संबंधित खादानों से बोल्टर उठाव के समय प्राप्त कर विधिवत पंजी में दर्ज करेंगे ताकि राजस्व की क्षति न हो।
6. कोविड-19 के गाईडलाईन्स का अनुपालन करेंगे।

इस धारा या मौसम अनुकूल न हो तो नाव/वोटों का परिचालन नहीं करेंगे।



8. जीवन रक्षार्थ सामग्री का उपयोग परिचालन की स्थिति में करेंगे।
9. कोई ऐसा तरल पदार्थ जो जलीय जीव के लिए हानिकारक हो, को गंगा में प्रवाहित नहीं करेंगे।
10. निरीक्षी पदाधिकारी की उपस्थिति में यदि पंजी आदि की मांग करें, तो निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेंगे।
11. स्वीकृत अवधि दिनांक-23.04.2022 तक ही मान्य होगी।

यदि ऐसा पाया जाता है कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है तो अनुमति रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।


उपायुक्त,
साहेबगंज।


ज्ञापांक 310 / रा0, साहेबगंज, दिनांक- 11.02/2021

प्रतिलिपि :- मेसर्स, एन0एन0टी0 डेभलेपर्स प्राईवेट लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज (झारखण्ड) / मनिहारी, कटिहार (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।



(87)



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद,

क्षेत्रीय कार्यालय-सह-प्रयोगशाला दुमका - 814101

पत्रांक :- कैम्प साहेबगंज 01

दिनांक 20.05.2022

प्रेषक:

क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी,
जिला - साहेबगंज।

विषय :-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, कोलकाता में मो0 खलीक अंसारी वनाम् आवेदक, MoEF & CC & Ors. O. A. no. 22/2021/EZ के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मो0 खलीक अंसारी वनाम् आवेदक, MoEF & CC & Ors. O. A. no. 22/2021/EZ के आलोक में दिनांक 13.05.2022 को सुनवाई के तहत दिये गए निर्देश के आलोक में अचोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20.05.2022 को बड़ामदनशाही, छोटामदनशाही एवं समदानाला गंगा घाटों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपरोक्त घाटों पर स्टोन बोल्टर जमा किया गया था एवं ट्रेक्टरों द्वारा स्टोन बोल्टर को जमा किया जा रहा था। ट्रेक्टर ड्राइवर को बुला कर इस संदर्भ में पूछने ही वाला था तबतक ट्रेक्टर छोड़कर भाग गया। निरीक्षण के दौरान घाटों पर कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। जिसके कारण घाटों पर हो रहे पत्थरों का भंडारण के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी।

अतः अनुरोध है कि उक्त घाटों पर हो रहे पत्थरों का भंडारण के संदर्भ में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की जाए तथा अवैध हो रहे स्टोन बोल्टरों का भंडारण के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,
20/05/2022
क्षेत्रीय पदाधिकारी,
दुमका।

DA Letter Hindi 2022-23



11

जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज

पत्रांक 618 / एफ, दिनांक 15/7/22

सेवा में

धाना प्रभारी,
जिरवावाड़ी धाना,
साहेबगंज।

विषय - नाद से अवैध पत्थर परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।
महाराज,

प्रतिवेदित करना है की आज दिनांक 15.07.2022 को पूर्वाह्न 8:00 से जिरवावाड़ी धाना अनारगल मदनशाही घाट, धानन घाट, समदा घाट इत्यादि क्षेत्रों में क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन की अधिक छापामारी जिला टारक फोर्स (खनन) द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज की अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, अंचल अधिकारी, सदर, पुलिस निरीक्षक, सदर, धाना प्रभारी, जिरवावाड़ी (ओपीओ) एवं सशस्त्र पुलिस बल के साथ की गई। जांच के दौरान गंगा नदी के किनारे मदनशाही घाट के पास लगभग 42000 घनफीट पत्थर विपस पाया गया। उक्त स्थल पर 1 ट्रक द्वारा लाई गई अवैध पत्थर को खाती किया जा रहा था तथा ट्रक के सहयोग हेतु 1 हाईड्रॉ ग्री मौजुद था जिसे जप्त कर जिरवावाड़ी धाना को सुपुर्द किया गया है। ट्रक चालक हमलोगो को देखते ही भाग छड़े हुए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि गंगा किनारे पत्थर का किसी प्रकार का व्यापार करना अवैध है। स्थानीय लोगों से पुछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन कर भंडारण करते हुए व्यापार किया जा रहा है। सलियत व्यक्तियों, जप्त वाहन एवं हाईड्रॉ का नंबर निम्न प्रकार से है :-

क्र.0	सलियत व्यक्ति का नाम एवं पता- ट्रक संख्या/ हाईड्रॉ
1	पप्पु अंसारी, पिता- कामरुजमरा, साकिन- मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
2	बिट्टू अंसारी, पिता- जलील अंसारी, साकिन- मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
3	बसीम अंसारी, पिता- मकसूद, साकिन- मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
4	लकरू नियाँ, पिता- जैनुल आयेदिन साकिन- मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
5	रहीस अंसारी, पिता- अबुल हसन साकिन- मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
6	अशोक मंडल, पिता- महेश मंडल साकिन- खुटहरी, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
7	मेहरुददी अंसारी, पिता- जलील अंसारी साकिन- मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
8	मुर्शिद अंसारी पिता- घसकु अंसारी साकिन- मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
9	मांझी यादव, पिता- सत्यनारायण यादव, साकिन- मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
10	योगेन्द्र मंडल, पिता- नामालुम, साकिन- साँतीचौकी खुटहरी, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
11	कात्यायन मंडल, पिता- नामालुम, साकिन- साँतीचौकी खुटहरी, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
12	अलामुद्दीन अंसारी, पिता- सलीम साकिन- छोटा मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
13	कासीम अंसारी पिता- सलामत साकिन- छोटा मदनशाही, धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
14	सुलतान अंसारी, पिता- हुकुमत, साकिन- साँतीचौकी, खुटहरी धाना जिरवावाड़ी, जिला- साहेबगंज
15	हाईवा संख्या WB45-0015
16	हाईड्रॉ JH18K-4033



-2-

इस कृत से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति का क्षरण भी हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञापति धारण किये खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है एवं ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1'ए' का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त अधिनियम के तहत धारा 21'ए' एवं 21(6) के अंतर्गत दण्ड प्रावधानित है एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54 एवं Jharkhand mineral (Prevention of Illegal mining) Transportation and Storage Rule 2017 के नियम 7 एवं 9 के अन्तर्गत अवैध उत्खनन/भंडारण/प्रेषण एवं व्यापार करने हेतु कार्रवाई की जाय। साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 175,379,414 के अन्तर्गत कार्रवाई किया जाये।

अतः उपरोक्त अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों, ट्रक एवं हाईड्रा के मालिक, चालक, पत्थर खनिज क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०- जप्ती सूची, फोटोग्राफ एवं CD संलग्न है।

विश्वासभाजन

(विभूति कुमार)
15/11/22

जिला खनन पदाधिकारी
साहेबगंज।

